छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक ५५६१ दिनांक 12/09/2026

ई–निविदा – प्रपत्र

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा मण्डल की विभिन्न परीक्षाओं के उत्तरपुस्तिकाओं हेतु स्वतः चिपकने वाला खोखला क्राफ्ट स्टिकर के मुद्रण हेतु ई–निविदा आंमत्रित की गई है। जो क्ले कोटेड ब्लीच्ड क्रॉफ्ट रिलीज पेपर पर होना चाहिये। क्रॉफ्ट पेपर न्यूनतम 70 GSM का हो एवं IS 1397:1990 के अनुसार हो। रिलीज पेपर न्यूनतम 70 GSM का हो। क्राफ्ट पेपर IS (Indian Standard) NO. 1397:1990 के नवीन मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निविदाकार को प्रेापंजीकरण अधिनियम के तहत प्रिटिंग प्रेस के रूप में पंजीकरण होना चाहिए एवं फर्म का टर्न ओव्हर विगत तीन वर्ष में 4 करोड़ रूपये प्रति वर्ष होना अनिवार्य है।

निविदा हेतु तिथियां

निविदा विकय की अंतिम तिथि	दिनांक : 01.10.2026	11:00 बजे तक (पूर्वान्ह)
निविदा प्रपत्र, तकनिकी कागज, ईएमडी, सैम्पल/कागज भौतिक रूप से जमा करने की तिथि	दिनांक : 01.10.2026	12:00 बजे तक (अपरान्ह)
निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक : 01.10.2026	02:00 बजे तक (अपरान्ह)
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक : 01.10.2026	04:00 बजे (अपरान्ह)

नियम एवं शर्ते –

1. निविदा दस्तावेज 01.10.2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक **https://eproc.cgstste.gov.in** से ऑनलाइन डाउनलोड और निविदा जमा किए जा सकते हैं।
2. निविदा में भाग लेने के लिए निविदाकारों को **https://eproc.cgstste.gov.in** पर पंजीकृत होना होगा।
3. चूंकि ऑनलाइन निविदाकारों को डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अपनी निविदाओं पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करना आवश्यक है, इसलिए निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे डिजिटल हस्ताक्षर जल्द से जल्द प्राप्त कर लें।
4. निविदाकारों को निविदा प्रपत्र, तकनिकी कागज/ईएमडी, सैम्पल/कागज भौतिक रूप से दिनांक 01.10.2026 अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करना होगा।
5. निविदाकारों के सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाने है और उन्हें दि0 01.10.2026 अपरान्ह 02:00 बजे तक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, पेंशनबाड़ा, रायपुर (छ0ग0) के कार्यालय में मैन्युअल रूप से जमा करना होगा। टेंडर में भाग लेने के लिए निविदाकारों को रूपये 5000.00 का ऑन लाईन के माध्यम से मण्डल को भुगतान करना होगा। (निविदा शुल्क अतिरिक्त) निविदा दस्तावेजों का मूल्यांकन करते समय केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों पर ही विचार किया जाएगा।
6. निविदाकारों को सुझाव दिया जाता है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने के लिए निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न दिशा निर्देश देखें।

निवदिाकारों को तकनिकी निविदा के साथ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। अन्य नियम एवं शर्ते निविदा दस्तावेज के अनुसार होगी।

12/9/26

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

निविदा प्रपत्र का मूल्य – 2,000/–

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,रायपुर

कमांक .....
दिनांक .....

ई–निविदा – प्रपत्र

स्वतः चिपकने वाला खोखला क्राफ्ट स्टिकर जो क्ले कोटेड ब्लीच्ड क्रॉफ्ट रिलीज पेपर पर होना चाहिये। काफ्ट पेपर एवं रिलीज पेपर न्यूनतम **70 GSM** का हो तथा **IS (Indian Standard) NO. 1397:1990** के नवीन मानको के अनुरूप होना चाहिए।

आपूर्ति निविदा –

वर्ष – 2027

निविदा हेतु तिथियां

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	दिनांक : 01.10.2026	11:00 बजे तक (पूर्वान्ह)
निविदा प्रपत्र, तकनिकी कागज, ईएमडी, सैम्पल/कागज भौतिक रूप से जमा करने की तिथि	दिनांक : 01.10.2026	12:00 बजे तक (अपरान्ह)
निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक : 01.10.2026	02:00 बजे तक (अपरान्ह)
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक : 01.10.2026	04:00 बजे (अपरान्ह)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

निविदा सूचना कमांक / 444 / मुद्रण / 2026 रायपुर, दिनांक 02/09/2026

निविदा फार्म की कीमत
रूपये 5,000 / –

प्रति,

मैसर्स .....
.....
.....

विषय :– स्वतः चिपकने वाला खोखला क्राफ्ट स्टिकर निविदा बाबत्।

––000––

परीक्षा वर्ष 2025 में उत्तरपुस्तिकाओं में रोल नम्बर छिपाने हेतु स्वतः चिपकने वाला खोखला क्राफ्ट स्टिकर जो क्ले कोटेड ब्लीच्ड क्रॉफ्ट रिलीज पेपर पर होना चाहिये। क्रॉफ्ट पेपर न्यूनतम 70 GSM का हो एवं IS 1397:1990 के अनुसार हो। रिलीज पेपर न्यूनतम 70 GSM का हो। क्राफ्ट पेपर IS (Indian Standard) NO. 1397:1990 के नवीन मानकों के अनुरूप की आपूर्ति हेतु स्टीकर्स निर्माताओं / मुद्रकों से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सीलबंद लिफाफे में सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल पेंशनबाड़ा रायपुर पिन कोड – 492001 के नाम से भेजी जाए।

2/9/26

सचिव,
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

निविदा सूचना कमांक/444/मुद्रण/2026 रायपुर, दिनांक 02/09/2026

निविदा के नियम एवं शर्ते

विषय :– वर्ष 2027के लिए हॉलो (खोखला) स्टीकर्स मुद्रण बाबत्।

प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन :–

स्वतः चिपकने वाला खोखला क्राफ्ट स्टिकर जो क्ले कोटेड ब्लीच्ड क्रॉफ्ट रिलीज पेपर पर होना चाहिये। क्राफ्ट पेपर एवं रिलीज पेपर न्यूनतम 70 GSM का हो तथा IS (Indian Standard) NO. 1397:1990 के नवीन मानको के अनुरूप होना चाहिए।

1. स्टेशनरी का नाम (कार्य का स्वरूप)
   a. सिंगल कलर में साईज 18cm.×9cm. से.मी. जिसके चारो कोर पर 0.5 से.मी. पर गोंद लगा हो एवं शेष स्थान पर गोंद न लगा हो।
   b. स्टीकर्स 100–100 शीट के बंडल में हो।
   c. आवश्यकता – लगभग 75 लाख स्टीकर्स। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
   d. सफल निविदाकार को अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा जिसके प्रपत्र में कार्य की सम्पूर्ण जानकारी, कार्य की प्रकृति, कार्य के तकनीकी आयाम, कार्य की शर्ते, कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं कार्य की गुणवत्ता का उल्लेख होगा। निविदाकर्ता को अनुबंध में दी गई शर्तो का पालन करना होगा।

2. तकनीकी बिड :–

निविदाकर्त्ताओं को (तकनीकी) टेक्नीकल बीड में नीचे दर्शित कसौटियों/शर्तों के अनुसार स्वप्रमाणित प्रपत्र जमा करने होंगे। यदि नीचे उल्लेखित प्रपत्रों में से एक भी प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

   a. उद्योग आधार नम्बर/उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन,
   b. Shop & Establishment से रजिस्ट्रेशन,
   c. DIC (District Industry Center)/SSI Part II, 31 मार्च 2026 के पूर्व का प्रमाण पत्र या फैक्ट्री ऐक्ट रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति,
   d. पैन कार्ड की छायाप्रति,
   e. GST पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
   f. ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित 4 करोड़ प्रतिवर्ष, विगत तीन वर्षो का टर्नओवर एवं FY 2023–2024, 2024–25 एवं 2025–26 का ITR (आयकर चुकता प्रमाण–पत्र),
   g. पिछले छः माह का GST रिटर्न,
   h. सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम से देय रू. 5.00 लाख का EMD (सुरक्षा निधि) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स्
   i. फर्म को किसी शासकीय/अर्ध्दशासकीय/स्वशासी निकाय के द्वारा डिबार या काली सूची में नहीं डाला गया है, इस आशय का 100 रू. के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र,
   j. न्यूनतम 23"×36'' आकार की सिंगल कलर शीट फेड की कम से कम एक प्रिंटिंग मशीन का देयक,
   k. विगत लगातार तीन वर्षो का किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय निकाय से प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 लाख रू. के प्रिंटेड सामग्री के कार्यादेश की छायाप्रति।

L. निविदा आवेदन पत्र का मूल्य रू. 5000/– का https://eproc.cgstate.gov.in/ में ऑनलाईन भुगतान करना होगा।

M. निविदाकार को प्रेस पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रिंटिंग प्रेस के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, निविदाकार को इस संबंध में लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।

3. निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोलने की प्रक्रिया –

a. निविदा के प्रपत्र में एक बाहरी लिफाफे एवं दो भीतरी लिफाफे होंगे – A लिफाफा एवं – B लिफाफा। A लिफाफे में तकनीकी बिड संबंधी समस्त प्रपत्र रखना होगा तथा B लिफाफे में दरों से संबंधित जानकारी रखनी होगी। A लिफाफा एवं B लिफाफा सील करके दोनों को बाहरी लिफाफा में रखकर सील करना होगा, बाहरी लिफाफा पर निविदा क्रमांक अंकित करते हुए मण्डल का पता सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक ि ाक्षा मण्डल, पें ानबाड़ा रायपुर अंकित करना होगा तथा प्रेशक में फर्म स्वयं का पता अंकित करेगा। निविदा दिनांक 27.01.2025 अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।

b. सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोला जावेगा, तकनीकी बिड में सफल निविदाकारों का वित्तीय लिफाफा खोला जावेगा न्यूनतम दर L-1 वाली फर्म से सामग्री मुद्रित करवायी जावेगी। प्राप्त मुद्रित सामग्री के नमूनों की जांच भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत लैब में कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा।

c. तकनीकी बिड में दिये गये सभी प्रपत्र लिफाफा A के अंदर पाये जाने चाहिये। कोई एक भी प्रपत्र नहीं पाये जाने पर वित्तीय लिफाफा नहीं खोला जायेगा।

d. यदि आवश्यक हो तो मण्डल की क्रय समिति निविदाकार के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

4. स्टीकर्स की पैकिंग

प्रत्येक बंडल को प्लास्टिक की पारदर्शी पन्नी में पैक करना होगा तथा इन प्लास्टिक की पन्नियों को पुट्ठो के बड़े बाक्स में रखकर इस तरह पैक किया जाए जिससे की स्टीकर्स नमी और पानी से सुरक्षित रह सकें।

5. निविदा स्वीकार करने की प्रकिया

a. प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर तथा शासन के विद्यमान नियम/प्रचलित पद्धति के अनुसार दरें मान्य की जावेगी। निविदा में दो प्रकार की दरें देने पर अमान्य कर दिया जायेगा तथा अन्य फर्म से मुद्रण सामग्री मुद्रित करवाने का अनुबन्ध मान्य नहीं किया जावेगा अर्थात स्टीकर्स का मुद्रण टेण्डर भरने वाली (तथा न्यूनतम दर वाली) फर्म स्वयं करेगी।

b. निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने की लिखित सूचना के एक सप्ताह के अंदर सफल निविदाकार को निविदा की शर्तो के अनुसार 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना आवश्यक होगा।

c. निर्धारित अवधि में न्यूनतम दर वाले निविदाकार के अनुबंध न करने की स्थिति में द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार के संबंध में विचार किया जायेंगा तथा प्रथम न्यूनतम दर वाले निविदाकार की EMD (सुरक्षा निधि) राजसात (जब्त) कर ली जावेगी।

d. प्रस्तावित दरों में प्रति हजार स्टीकर की दर एवं GST दर पृथक से अंकित करना होगा।

6. सामग्री प्रदाय करने की प्रकिया

a. सामग्री प्रदाय करने हेतु मण्डल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इन्डेन्ट (आदेश), फर्म को प्रदाय किया जावेगा एवं इन्डेन्ट (आदेश) में दी गई निर्धारित तिथि के अन्दर, वांछित स्टीकर्स, स्पेसिफिकेशन के अनुसार मण्डल कार्यालय के भण्डार में निश्चित दिनांक तक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

b. आदेशित हॉलो स्टीकर्स का प्रदाय निर्धारित समयावधि में करना अनिवार्य होगा। समयावधि में प्रदाय न करने की स्थिति में आदेशित सामग्री के कुल मूल्य की 1% प्रतिशत राशि प्रतिदिन के विलम्ब के लिये काटी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15% होगी, एवं किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि से 15 दिन से अधिक विलम्ब से प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी। साथ ही निर्धारित अवधि में आंशिक स्टीकर्स प्रदाय करने के उपरांत, शेष सामग्री प्रदाय न करने की दशा में अन्य फर्मो से उच्च दर पर सामग्री क्रय करने पर निविदाकार की दर एवं क्रय किये गये स्टीकर्स मुद्रण के उच्च दर की अन्तर की राशि का कटौत्रा सुरक्षा निधि से करने का अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा।

c. स्टीकर्स निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म से सामग्री क्रय कर ली जायेगी ऐसी स्थिति में निविदाकार द्वारा दी गई सुरक्षा निधि राजसात करने का अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा।

d. निविदाकार को आदेशित स्टीकर्स मान्य नमूने के अनुसार ही प्रदाय करना अनिवार्य है। मान्य नमूने, साईज, प्रकार, गुणवत्ता आदि से निम्न स्तर की सामग्री उपयोग करने की दशा में मुद्रित स्टीकर्स स्वीकार नहीं किये जावेगें। इस प्रकार गुणवत्ता के विपरीत नमूना, साईज प्रकार, पेपर गुणवत्ता अनुरूप न होने पर स्टीकर्स अन्य फर्म से क्रय किये जा सकेंगे। अन्य फर्म से स्टीकर्स मुद्रण करने पर जो हानि मण्डल को होगी, उतनी धन–राशि की कटौती निविदाकार की राशि (सुरक्षा निधि) से करने का अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा।

e. प्राप्त स्टीकर्स के मान्य नमूने, साईज, प्रकार, पेपर की गुणवत्ता आदि की जांच भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत लैब में टेक्निकल जांच हेतु भेजा जायेगा। गुणवत्ता में कमी होने से देयक में से रा ि ा कटौती की जा सकेगी तथा अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा। कटौती (अर्थदण्ड) का निर्धारण किये जाने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा लिया गया निर्णय निविदाकार के लिए मान्य होगा।

f. प्राप्त स्टीकर्स के नमूने स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं होने की दशा में उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा फर्म को रिजेक्टेड मटेरियल की लिखित सूचना दी जावेगी। लिखित सूचना के 07 दिवस के अन्दर भण्डार से प्रदाय किये गये स्टीकर्स निविदाकार स्वयं के व्यय पर हटाने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा प्रदाय की गई सामग्री की जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।

g. स्टीकर्स प्रदाय करने के पश्चात निविदाकार द्वारा इनवाईस की प्रति के साथ तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

h. अनुबंधित अवधि के दौरान यह कार्य निविदाकार द्वारा ही सम्पन्न किया जावेगा, उसे यह कार्य Sublet अथवा किसी अन्य को Assign करने का अधिकार नहीं होगा।

7. सुरक्षा निधि

निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने पर निविदा के साथ जमा EMD (सुरक्षा निधि) रू. 5,00,000.00 (पांच लाख) को सुरक्षा निधि के रूप में अनुबंध की अवधि तक मण्डल में जमा रखा जावेगा। शेष निविदाकारों की अमानत राशि युक्तियुक्त समय में लौटा दी जावेगी।

8. भुगतान

निविदाकार को सम्पूर्ण आपूर्ति उपरांत 80% राशि का भुगतान किया जावेगा तथा शेष 20% राशि का भुगतान तकनीकी परीक्षण उपरांत सामग्री मण्डल द्वारा दिये गये स्पेशिफिकेशन अनुसार संतोषजनक होने पर की जा सकेगी।

9. सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अधिकार :–

a. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को निविदा का कोई भाग तथा सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने अथवा मात्रा को कम अथवा अधिक करने का अधिकार होगा।

b. L-1 दर पर अन्य पात्र निविदाकारों से भी सहमति प्राप्त करके कार्य आबंटन करने का पूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का होगा।

c. निविदा अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होगी किन्तु आवश्यतानुरूप निविदा की समान शर्ते एवं दरों पर 01 वर्ष की अवधि हेतु बढाने का अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल का होगा।

10. निविदा समापन

निविदा के नियम एवं शर्तो की प्रत्येक कंडिका में उल्लेखित प्रकिया का शब्दशः पालन करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा एवं उसका उल्लंधन करने पर उक्त कार्यवाही को Breach of contract (अनुबंध शर्तो का उल्लंघन) मानते हुए फर्म को डिबार या काली सूची में डाल कर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा। इस परिस्थिति में निविदाकार की उपलब्ध सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी।

11. विवाद की स्थिति

a. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदाकार के लिए मान्य एवं बन्धनकारी होगा।

b. उक्त निविदा के तहत अनुबंध चूंकि रायपुर में होगा, अतः किसी भी न्यायालयीन विवाद हेतु कार्यक्षेत्र रायपुर सीमित होगा।

निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार को उपर्युक्त सभी नियम एवं शर्ते मान्य एवं बंधनकारी है।

3/9/26

सचिव
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रयपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

(लिफाफा "A" में रखे)

तकनीकी बिड

1. उद्योग आधार नम्बर/उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन,
2. Shop & Establishment से रजिस्ट्रेशन,
3. DIC (District Industry Center)/SSI Part II, 31 मार्च 2026 के पूर्व का प्रमाण पत्र या फैक्ट्री ऐक्ट रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति,
4. पैन कार्ड की छायाप्रति,
5. GST पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति,
6. ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित 4 करोड़ प्रतिवर्ष, विगत तीन वर्षो का टर्नओवर एवं FY 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का ITR (आयकर चुकता प्रमाण–पत्र),
7. पिछले छः माह का GST रिटर्न,
8. सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम से देय रू. 5.00 लाख का EMD (सुरक्षा निधि) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स्
9. फर्म को किसी शासकीय/अर्ध्दशासकीय/स्वशासी निकाय के द्वारा डिबार या काली सूची में नहीं डाला गया है, इस आशय का 100 रू. के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र,
10. न्यूनतम 23"×36'' आकार की सिंगल कलर शीट फेड की कम से कम एक प्रिंटिंग मशीन का देयक,
11. विगत लगातार तीन वर्षो का किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय निकाय से प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 लाख रू. के प्रिंटेड सामग्री के कार्यादेश की छायाप्रति।
12. निविदा आवेदन पत्र का मूल्य रू. 5000/– ऑनलाईन भुगतान की रसीद।
13. निविदाकार को प्रेस पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रिंटिंग प्रेस के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, निविदाकार को इस संबंध में लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदाकार को निविदा के साथ 70 GSM क्राफ्ट पेपर का नमूना तथा 70 GSM सिलिकॉन पेपर का नमूना अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर
फर्म की पद मुद्रा सहित

दिनांक –

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

स्टीकर्स की दरें
(लिफाफा "B" में रखे)
वित्तीय बिड

1. फर्म का नाम – .....
2. मुद्रण की जाने वाली स्टेशनरी का नाम – स्वतः चिपकने वाला खोखला क्राफ्ट स्टिकर जो क्ले कोटेड ब्लीच्ड क्रॉफ्ट रिलीज पेपर पर होना चाहिये। काफ्ट पेपर एवं रिलीज पेपर न्यूनतम **70 GSM** का हो तथा **IS (Indian Standard) NO. 1397:1990** के नवीन मानको के अनुरूप होना चाहिए।
3. स्टीकर्स का साईज – साईज 18cm.×9cm. जिसके चारो कोर पर 0.5 से.मी. पर गोंद लगा हो एवं शेष स्थान पर गोंद न लगा हो जो खोखला हो।
4. मात्रा – लगभग 70 लाख
5. दर प्रति हजार स्टीकर्स समस्त कर सहित – अंको में ..... शब्दो में .....

निविदाकार के हस्ताक्षर
फर्म की पद मुद्रा सहित

दिनांक –

Validate Print Help Wise BoQ

Tender Inviting Authority: Chhattisgarh Board of Secondary Education Raipur, Raipur

Name of Work: - मण्डल की विभिन्न परीक्षाओं के उत्तरपुस्तिकाओं हेतु स्वत: चिपकने वाला खोखला काप्ट स्टीकर के मुद्रण हेतु निविदा

Contract No:

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	BASIC RATE will be enter in Thousand Rs. P	GST (If applicable in Percentage)	GST Amount in Rs. P	TOTAL AMOUNT excluding taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT including taxes Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	7	8	9	11	12	13
1	मण्डल की विभिन्न परीक्षाओं के उत्तरपुस्तिकाओं हेतु स्वत: चिपकने वाला खोखला काप्ट स्टीकर के मुद्रण हेतु निविदा								
1.01	(70 GSM IS No 1397:1990 मानक अनुरूप स्वत: चिपकने वाला खोखला काप्ट स्टीकर)	1.00	Nos			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures							0.00	0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words									

एकीकृत ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली

आपूर्तिकर्ता पंजीयन

(Supplier Registration)

मार्गदर्शिका

प्रारूप–2.4

दिनांक 10/01/2019

Chhattisgarh Infotech Promotion Society

विषय–सूची

प्रस्तावना

1.1 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) प्राप्त करना 4

खंड 1–पर्सनल कम्प्यूटर सेटअप और प्रारंभिक लॉगिन गाइड.....

1.2 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए DSC प्राप्त करने की प्रक्रिया..... 4–5

1.2.1 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए आवश्यक दस्तावेज..... 5

1.3 कंप्यूटर सिस्टम का ऑटो–सेटअप..... 6–12

1.4 आंचलिक और भाषा प्रारूप सेटिंग्स..... 13–14

खंड 2–विद्यमान पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन 15–25

खंड 3–नवीन आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन 20–25

खंड 4– लोक निर्माण विभाग (PWD) में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन 26–31

खंड 5–पंजीयन शुल्क का भुगतान..... 32–33

खंड 6–DSC एन्क्रिप्शन मैपिंग..... 34–36

प्रस्तावना

राज्य के समस्त विभागों में एकीकृत ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली के संचालन के लिए राज्य शासन की ओर से नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, चिप्स को राज्य क्रियान्वयन बनाया गया है। चिप्स द्वारा सिस्टम इंटीग्रेटर एमजंक्शन के साथ मिलकर योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

यह मार्गदर्शिका एकीकृत ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली का उपयोग कर रहे राज्य के सभी सरकारी विभागों और वेंडर्स के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए तैयार किया गया है। मार्गदर्शिका का प्रमुख उद्देश्य निविदाकर्ताओं को स्वयं के पंजीयन में सहयोग प्रादान करना है।

इस मार्गदर्शिका में जिन–जिन स्थानों पर आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/निविदाकर्ता/वेंडर आदि शब्दों का उपयोग किया गया है, उनका सब का अर्थ समान है। मार्गदर्शिका में वेंडर्स को दो श्रेणियां में वर्गीकृत किया गया है–

1. पूर्व से सक्रिय वेंडर्स
2. नवीन वेंडर्स

इन दोनों प्रकार के वेंडर्स के पंजीयन की प्रक्रिया पृथक–पृथक है। नवीन वेंडर्स के पास पंजीयन नम्बर नही होता जबकि पूर्व से सक्रिय वेंडर्स के पास पंजीयन नम्बर होता है। ऐसे वेंडर्स जिनके पास पंजीयन नम्बर है परन्तु ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली में ब्लॉक पाए जाते हैं, चिप्स हेल्पडेस्क में सम्पर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

नवीन वेंडर्स के पंजीयन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है–

1. पेन कार्ड नंबर सम्बन्धित जानकारी
2. श्रेणी ए, बी, सी, या डी में पंजीकृत वेंडर्स द्वारा सीआरएन प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी
3. वेंडर्स द्वारा चयनित लॉगिन कोड
4. निविदा संबंधित समस्त व्यावसायिक निदेश

1.1 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) प्राप्त करना

क्लास II या क्लास III–साइनिंग और एनक्रिप्शन वाले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) ई–प्रोक्योरमेंट के उपयोग की आवश्यक प्रक्रिया है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि यदि आपके पास DSC पहले से ही उपलब्ध नहीं हैं, तो बनवा लिया जाये। कृपया ध्यान रखें कि केवल DSC होने पर ही आप ई–प्रोक्योरमेंट के सुरक्षित साइट पर लॉगिन कर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होंगे।

DSC प्राप्त करने हेतु प्रमाणिकरण प्राधिकारी वर्ग (Certifying Authorities) के संपर्क विवरण की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	प्रमाणिकरण प्राधिकारी वर्ग (Certifying Authorities)	**Website Address**
1	e-Mudhra	www.e-Mudhra.com
2	GNFC	www.ncodesolutions.com
3	IDRBT	www.idrbtca.org.in
4	MTNLTrustline	www.mtnltrustline.com
5	NIC	www.nic.in
6	Safescrypt	www.safescrypt.com
7	Capricorn	www.certificate.digital

1.2 विदेशी वेंडर्स के लिए DSC प्राप्त करने की प्रक्रिया–

DSC प्राप्त करने से पूर्व पालन की जाने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया निम्नानुसार–

अ) वेंडर्स CCA द्वारा अनुमोदित लाइसेंसधारी किसी भी CA से पंजीकरण/आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है, (विवरण के लिए वेबसाइट https://cca-gov.in देखें)।

ब) वेंडर्स को पंजीकरण/आवेदन पत्र को नीचे उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरना होता है एवं सत्यापित प्रतियों और मूल दस्तावेजों के साथ भारतीय दूतावास में जमा करना होता है।

स) इसके पश्चात उपर्युक्त दस्तावेजों को भारतीय दूतावास द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

द) वेंडर्स को संबंधित देश की मुद्रा में रुपये के बराबर राशि के ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया जाना होता है, (सीए के बैंक का स्विफ्ट कोड अनुरोध पर सीए द्वारा प्रदान किया जाएगा)।

ई) तद्पश्चात भारतीय दूतावास के दस्तावेजों को पुनः संबंधित सीए के पास भेजना होता है।

क) सीए DSC को ई–टोकन के साथ जारी करता है और वेंडर्स को भेजता है।

1.2.1 विदेशी वेंडर्स के लिए आवश्यक दस्तावेज –

अ. किसी संगठन/उद्यम की ओर से वर्ग II या III DSC प्राप्त करने के लिए विदेशी वेंडर्स को नीचे उल्लिखित दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को भारतीय दूतावास में प्रस्तुत करना आवश्यक है, (कंपनी सचिव या निदेशकों या भागीदार से प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि)।

1. निगमन प्रमाणपत्र
2. ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम।
3. पंजीकृत भागीदारी प्रमाण के दस्तावेज
4. वैध व्यवसाय लाइसेंस दस्तावेज

ब. निम्नलिखित में से किसी भी एक की दस्तावेज की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि –

5. वार्षिक विवरण
6. आय कर रिटर्न
7. आमदनी का ब्यौरा
8. संगठन का बैंक विवरण

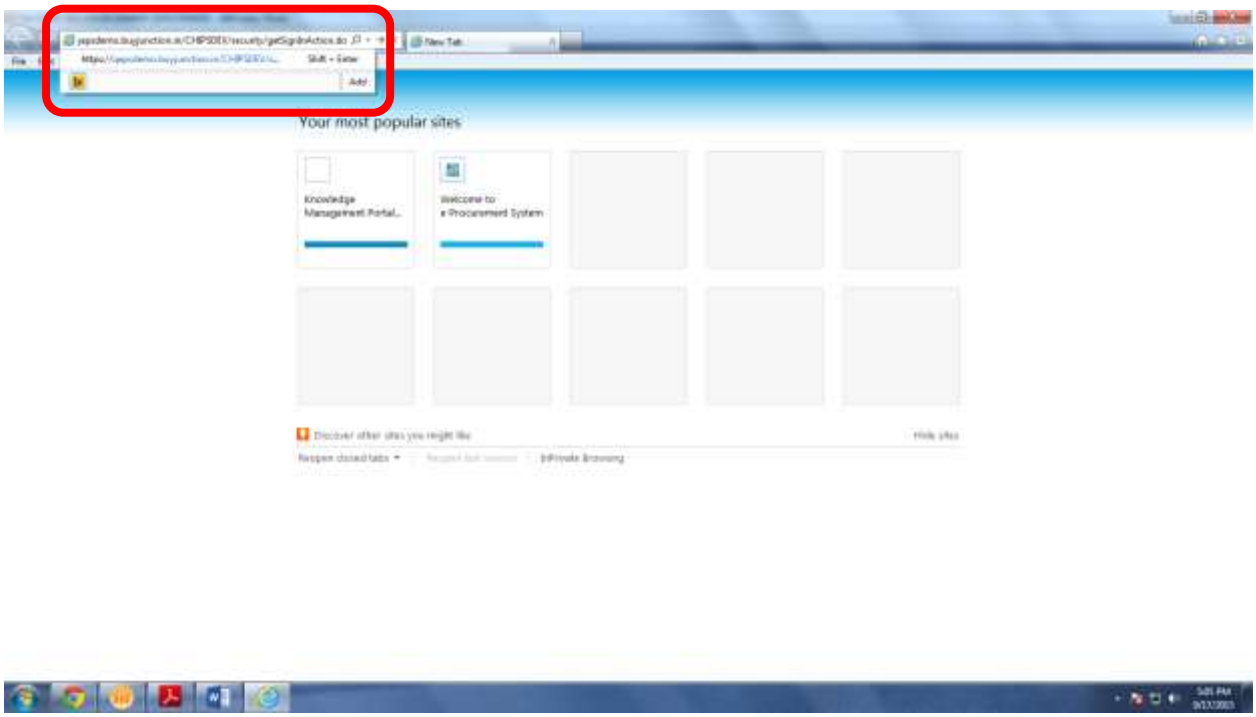
स. प्रत्येक **DSC** आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (नीचे उल्लिखित दोनों दस्तावेजों की मूल–प्रति आवश्यक है)–

1. संलग्न प्रारूप अनुसार संगठन द्वारा DSC के लिए अधिकृत करने हेतु जारी किये जाने वाले दस्तावेज के प्राधिकृत व्यक्ति को उस संगठन में आवेदक से कम से कम एक रैंक अधिक होना चाहिए।
2. आवेदक का नवीनतम रंग पासपोर्ट आकार का फोटो
3. वीजा, पासपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि (कंपनी के स्टांप द्वारा सत्यापित और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित। भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापन के बाद मूल वापस कर दिया जाएगा।

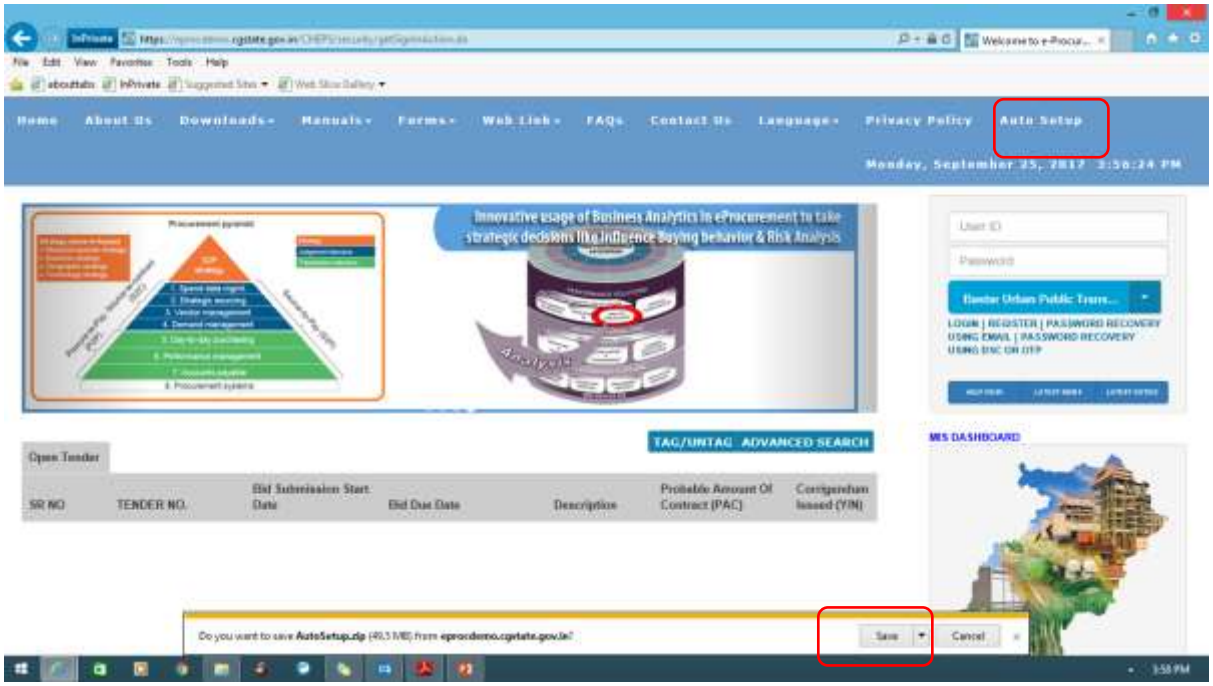
1.3. कंप्यूटर सिस्टम का ऑटो–सेटअप–

- Internet Explorer खोलें
- eproc.cgstate.gov.in पर जाएं
- **ऑटो–सेटअप पर क्लिक करें।**
- **सेटअप डाउनलोड** (Download the setup) **पर क्लिक करें।**
- Install **पर क्लिक करें एवं कम्प्यूटर के तैयार होने तक प्रतीक्षा करें।**

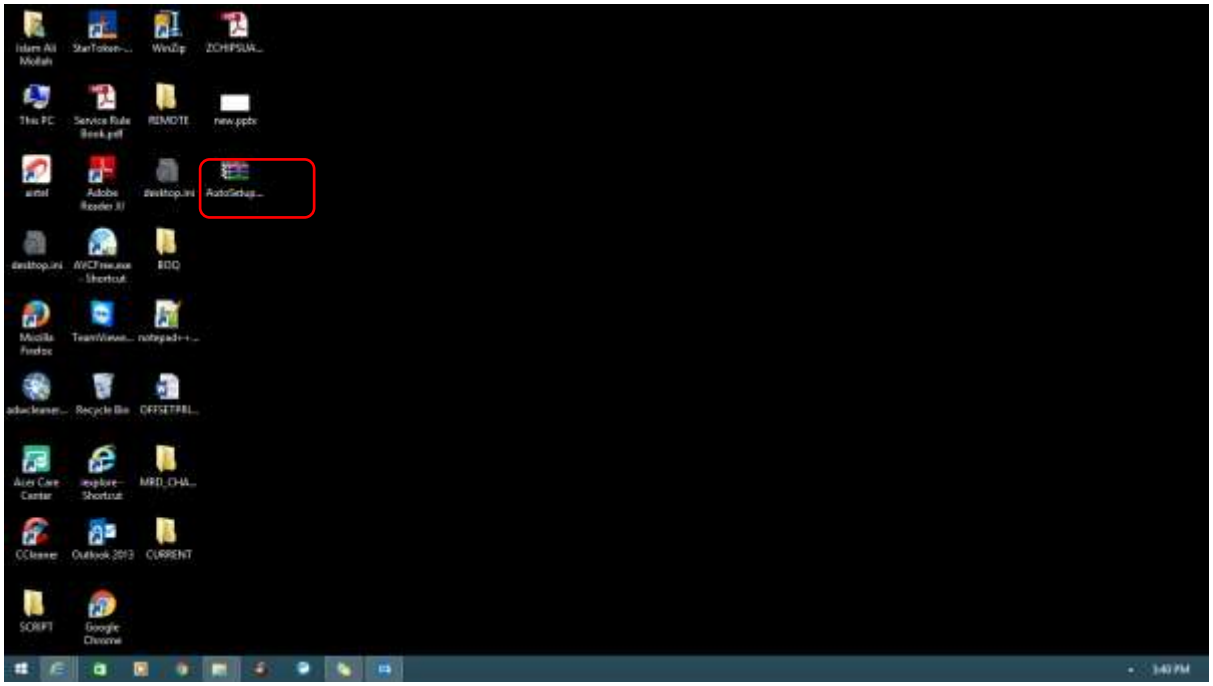
1.3.1 वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in खोलें–



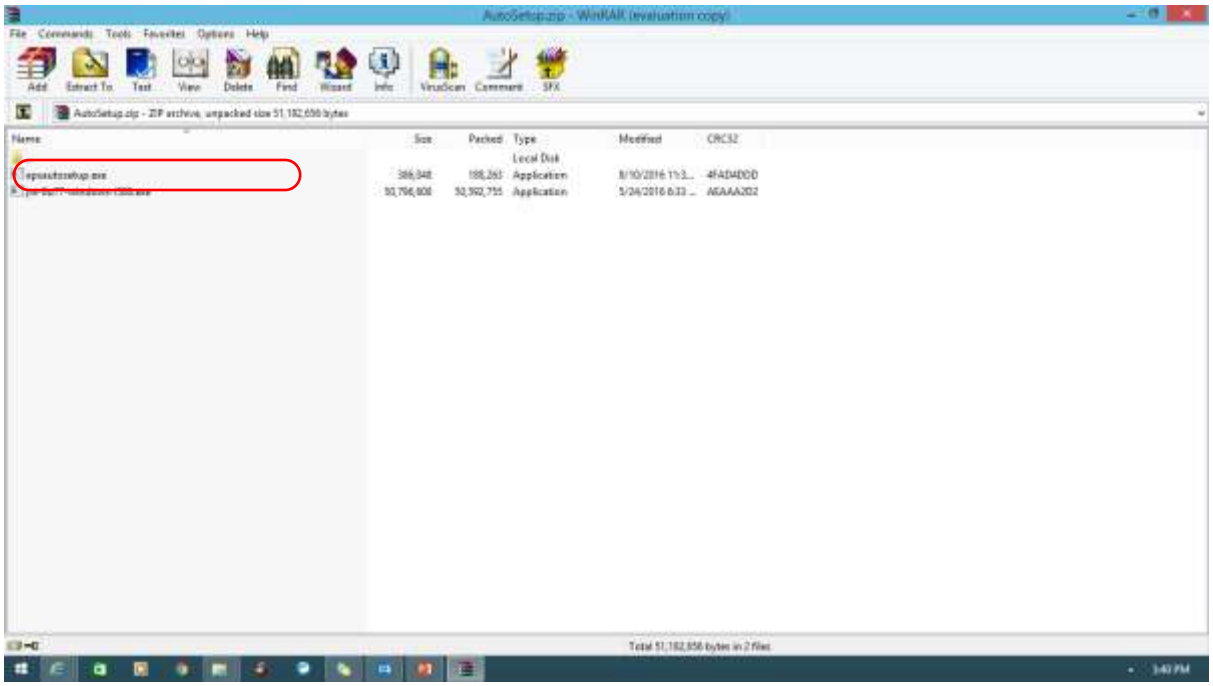
1.3.2 ऑटो–सेटअप लिंक पर क्लिक कर exe setup file डाउनलोड करें **एवं** file **को अपने कम्प्यूटर में** save **करें**

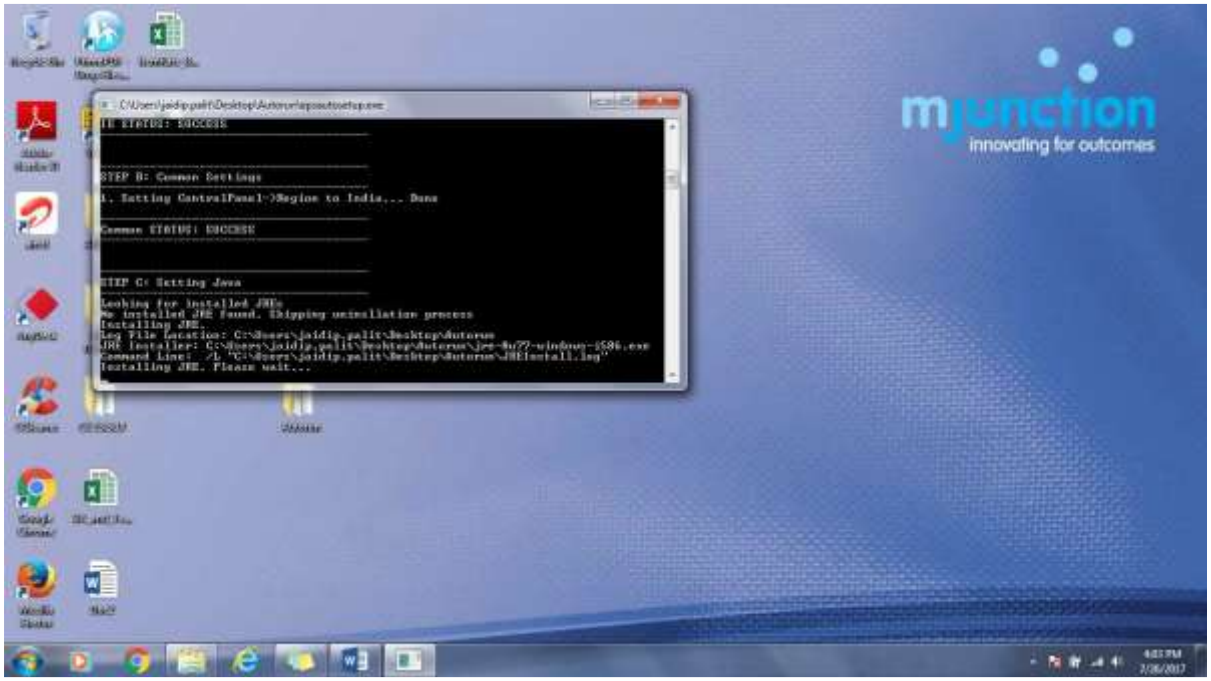


1.3.3 exe setup file को अनज़िप (Unzip) करें

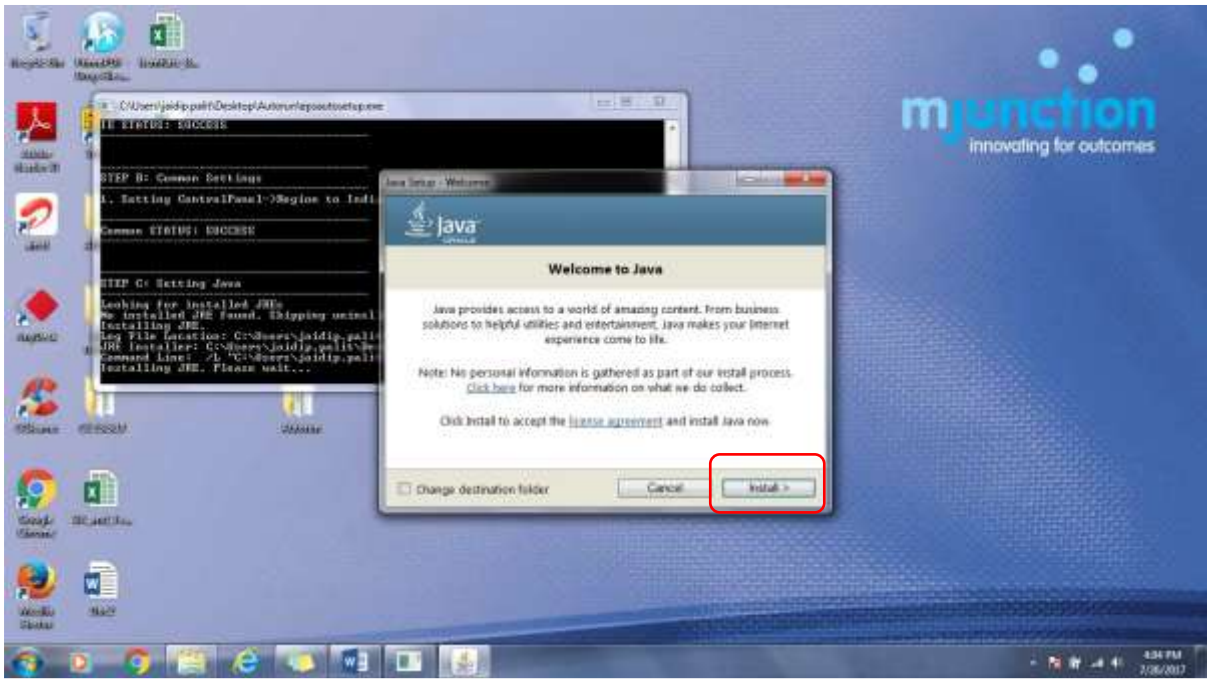


1.3.4 exe setup file पर डबल–क्लिक करें एवं अग्रिम कार्यवाही की प्रतीक्षा करें



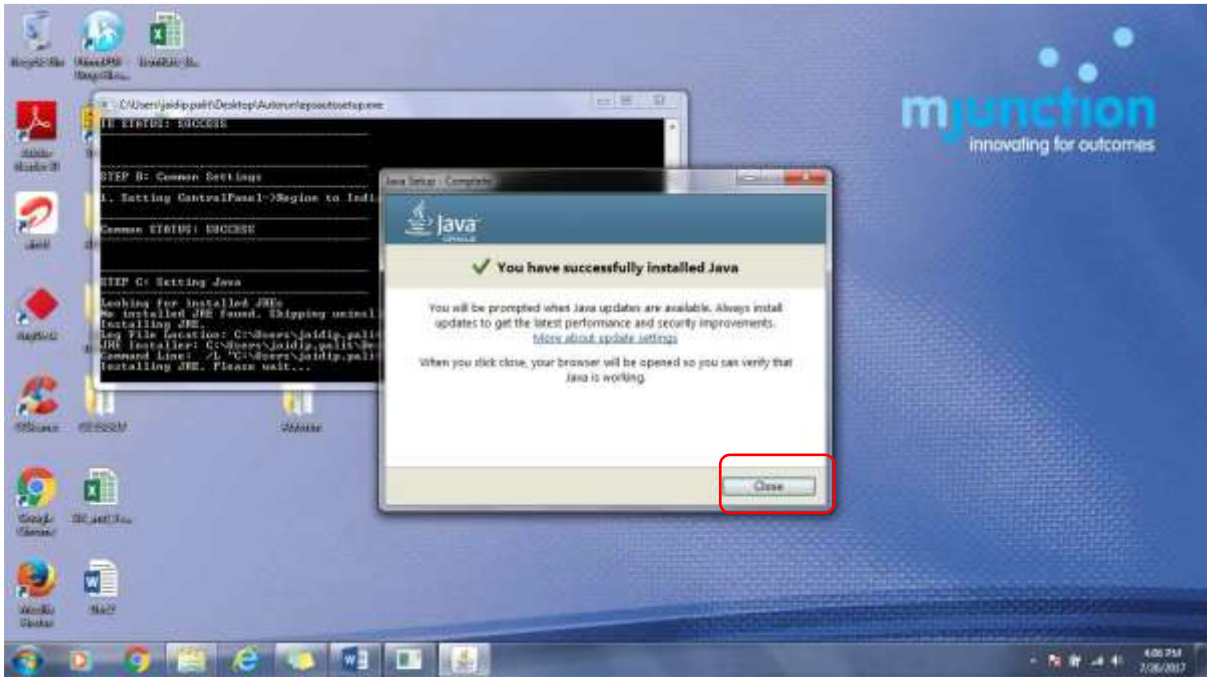


1.3.5 install बटन पर क्लिक करें

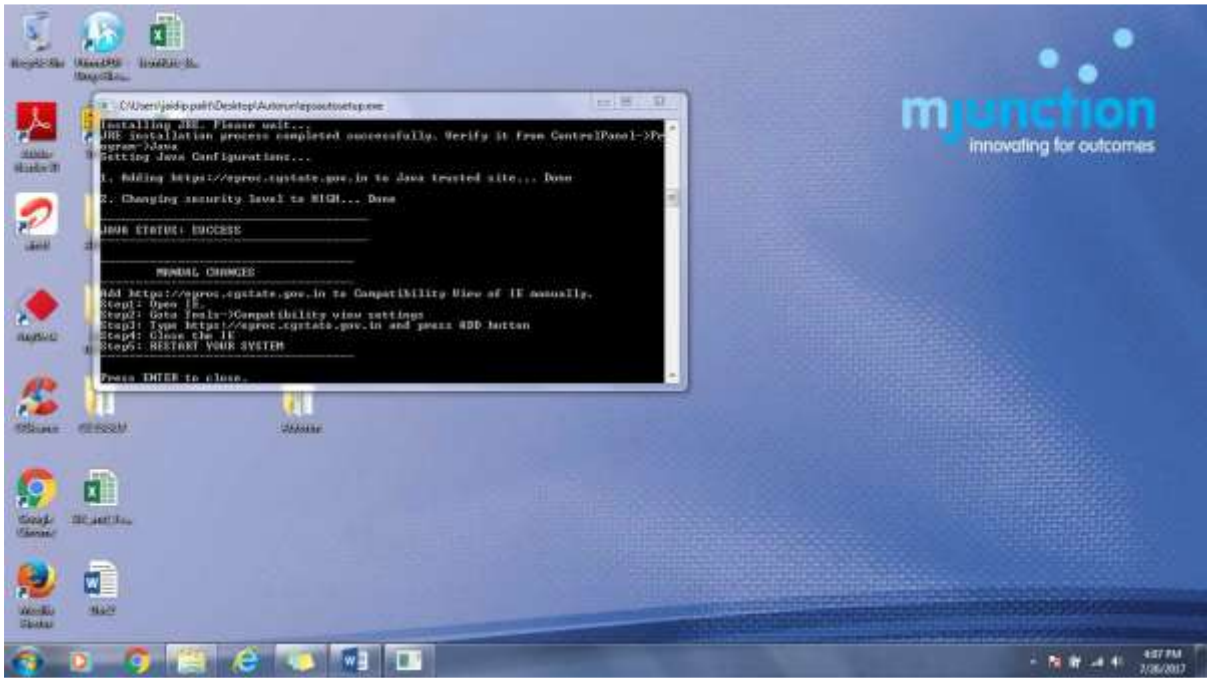




1.3.6 close बटन पर क्लिक करें

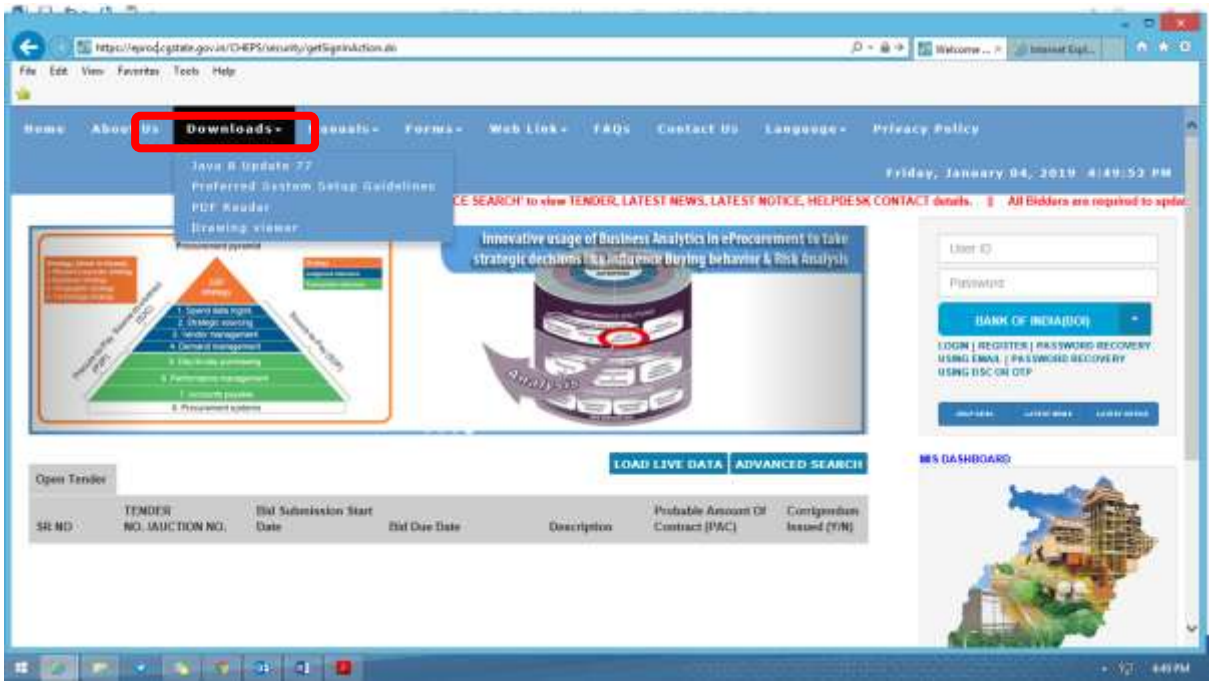


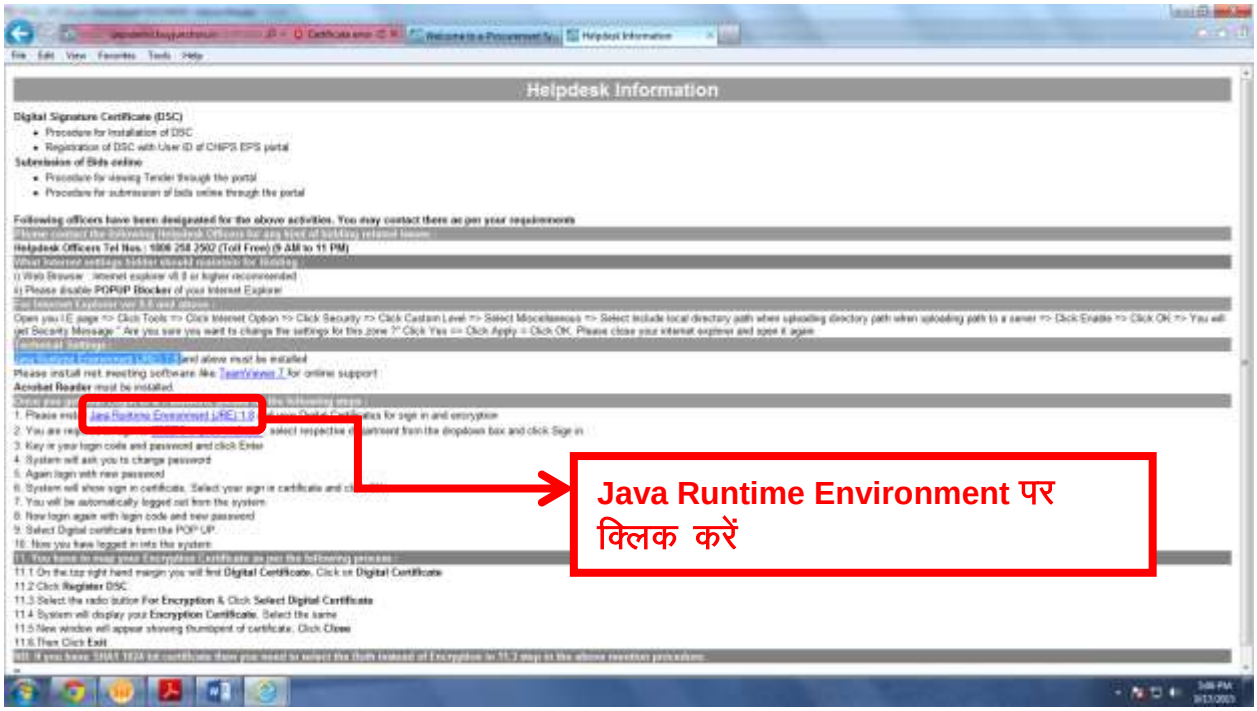
1.3.7 Close बटन पर क्लिक करें, आपका कम्प्यूटर उपयोग के लिए तैयार है

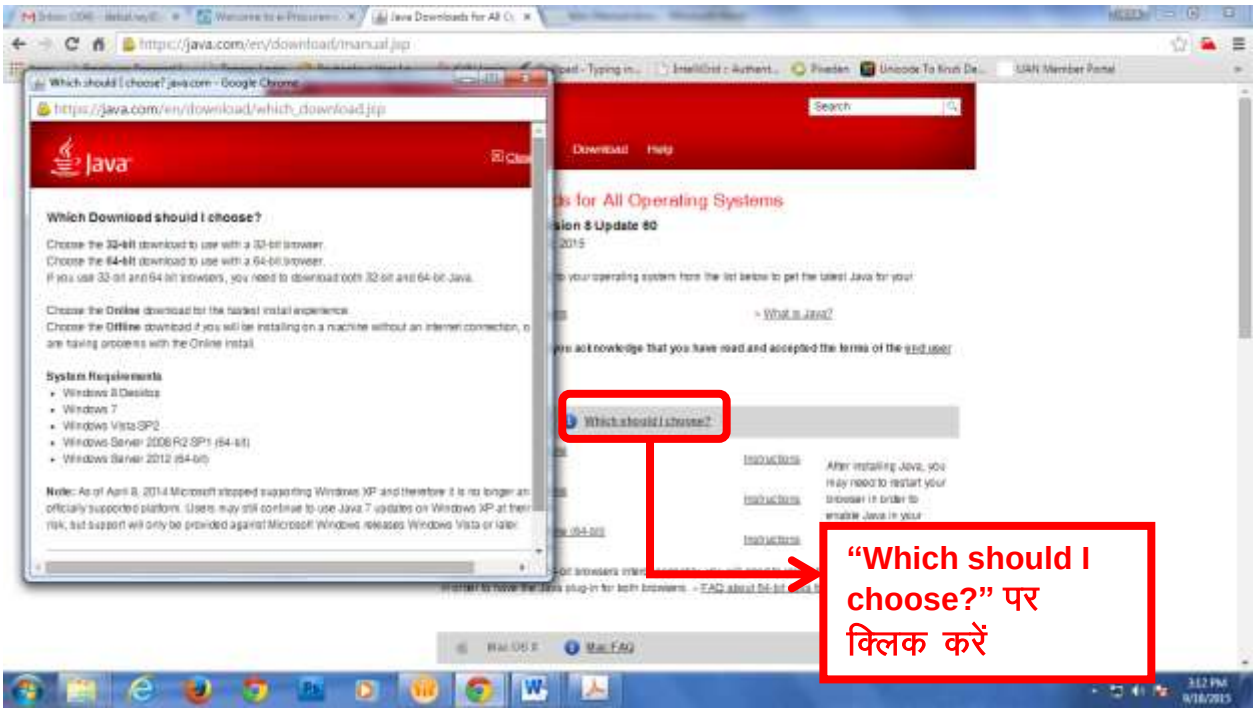


1.4 मैनुअल सिस्टम सेटअप

1.4.1 ई–प्रोक्योरमेंट साईट खोलकर डाउनलोड पर क्लिक करें और जावा सेटअप डाउनलोड करें



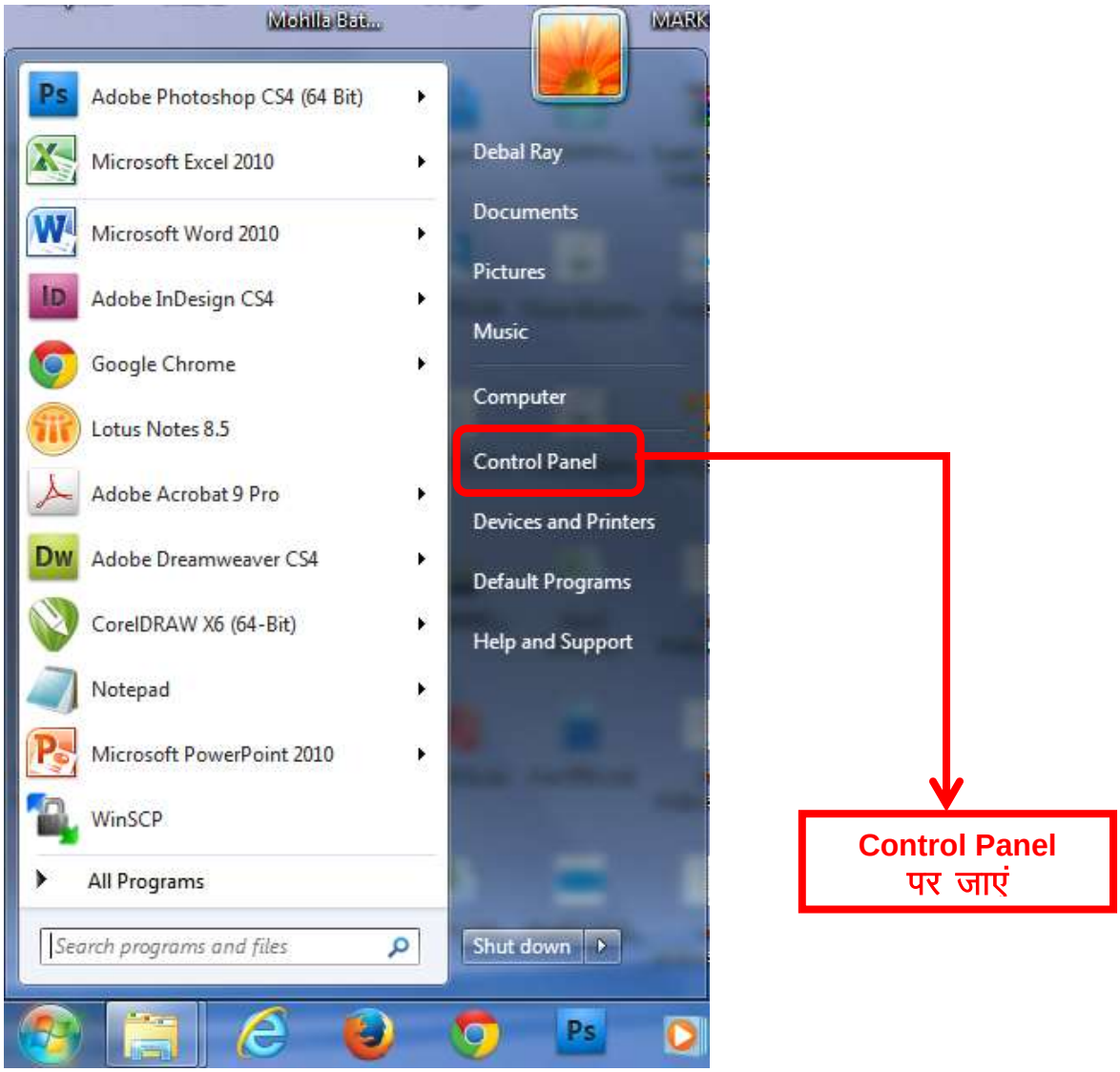


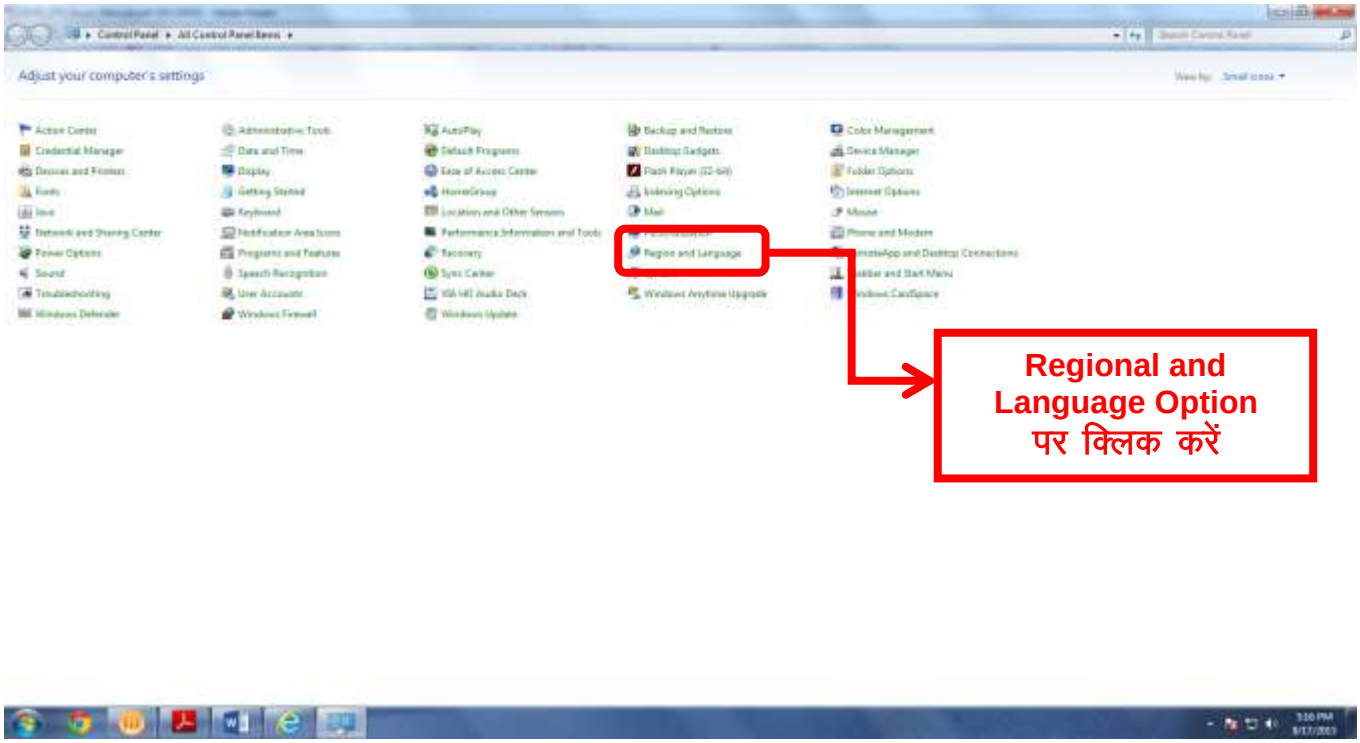

"Which should I choose?" पर क्लिक करें

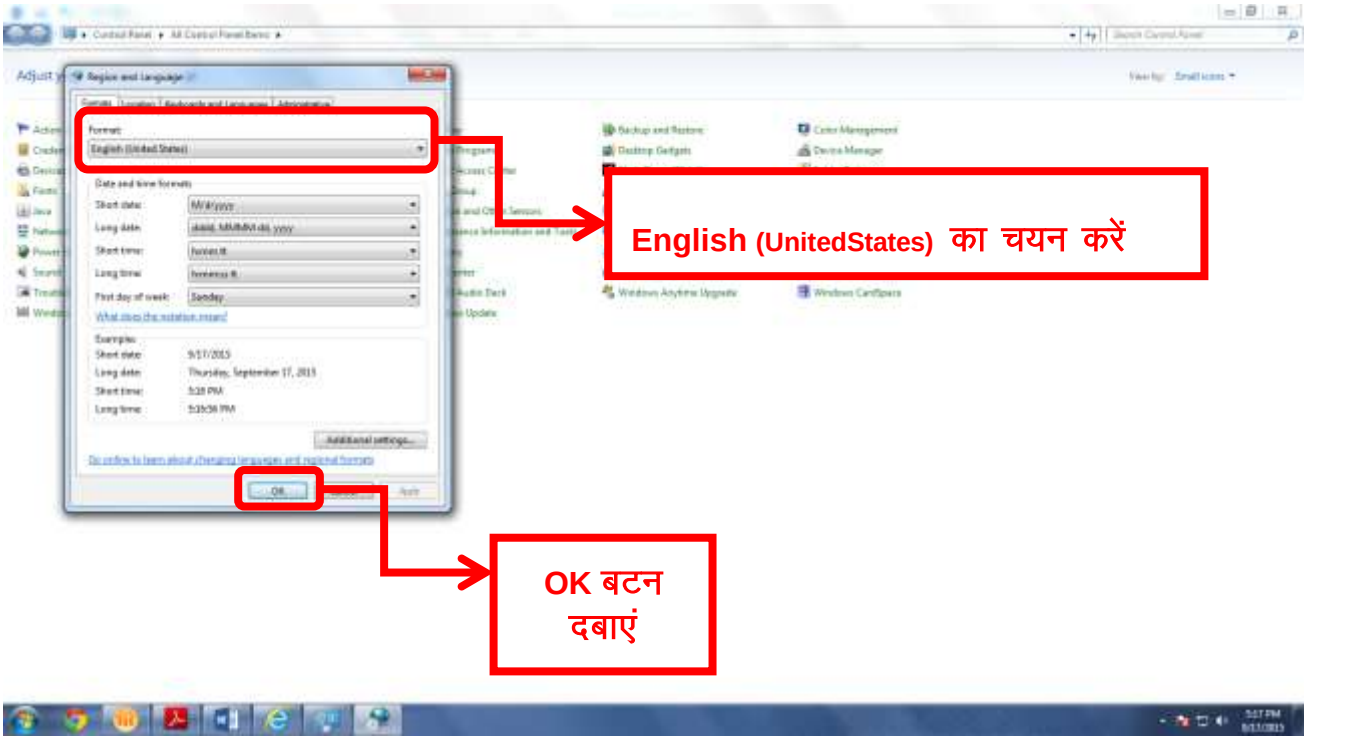

Download पर क्लिक करें

1.5 आंचलिक और भाषा प्रारूप सेटिंग्स

- Control Panel पर जाएं
- Region and Language Options आईकॉन पर क्लिक करें
- English (United States) का चयन करें
- OK बटन पर क्लिक करें

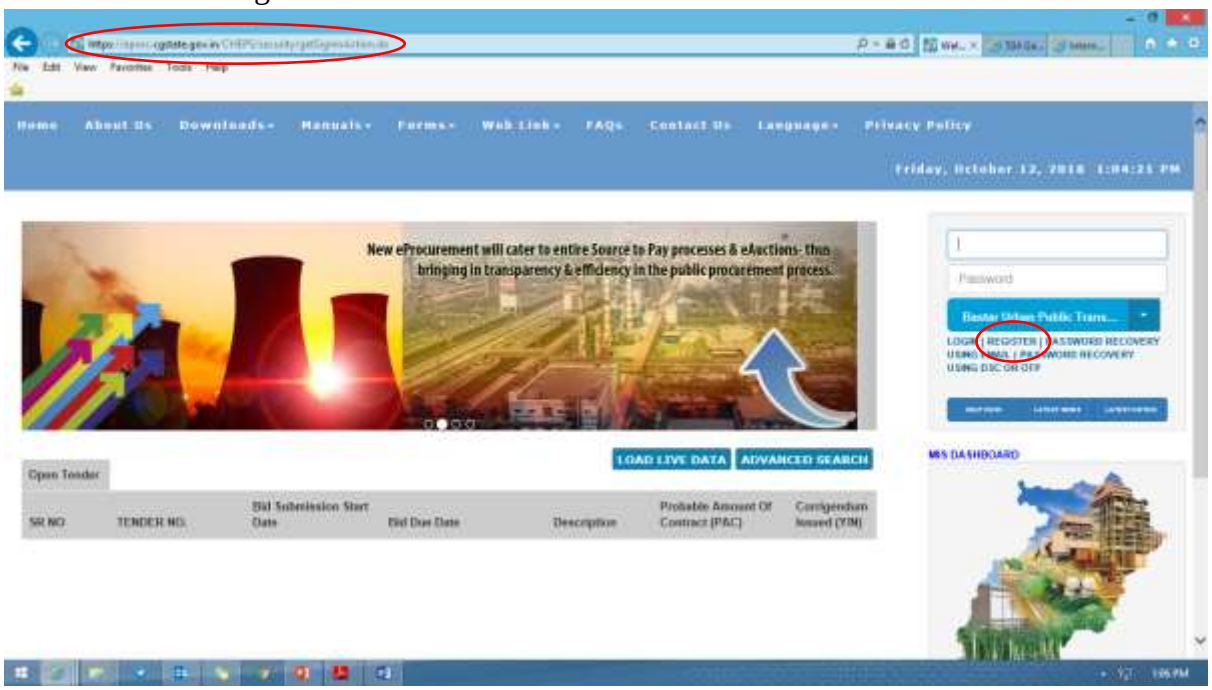



Regional and Language Option पर क्लिक करें

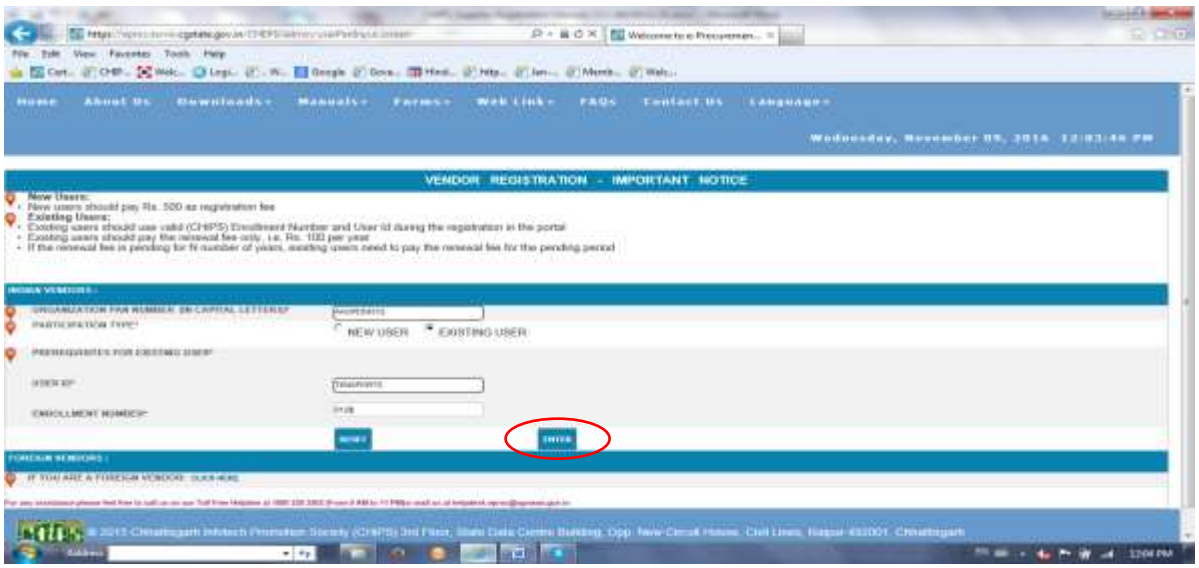

English (UnitedStates) का चयन करें
OK बटन दबाएं

खंड 2–विद्यमान पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन

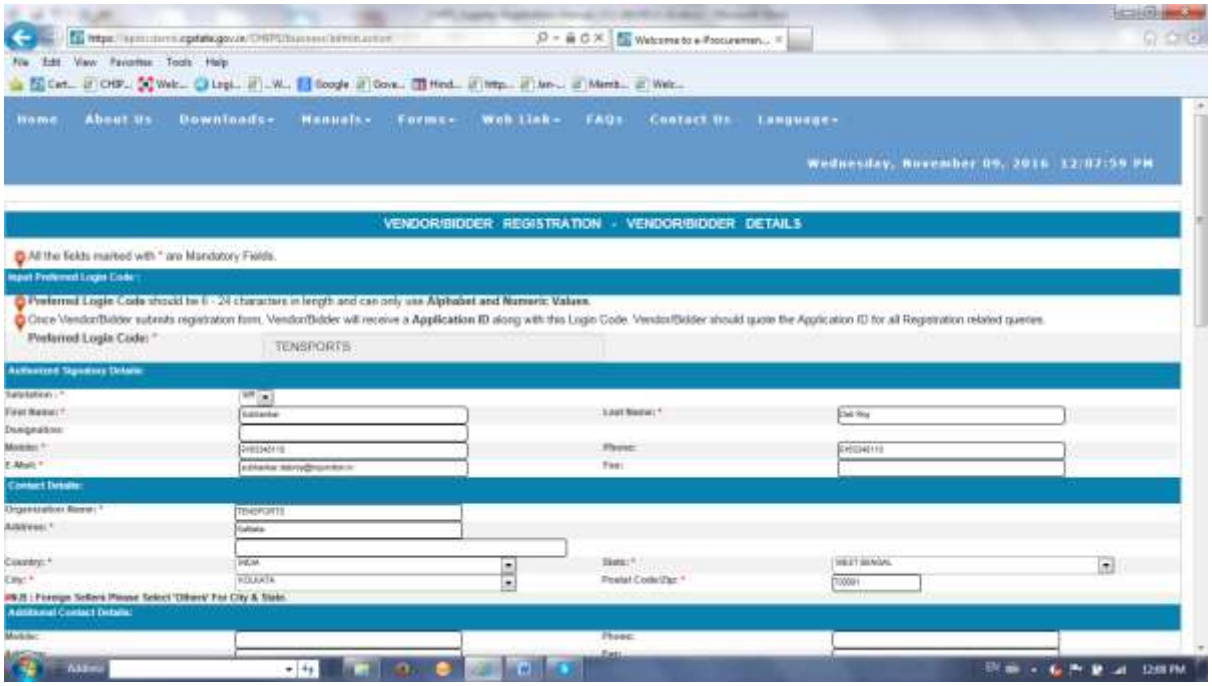
2.1 कृपया यूआरएल https://eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से वेबसाइट पर जायें एवं Register के अंतर्गत 'Existing User' पर क्लिक करें।



2.2 पंजीयन की मौजूदा स्थिति की जाँच – इसके लिए पंजीयनकर्ता द्वारा वैध पैन नंबर, उपयोगकर्ता आईडी और नामांकन संख्या को स्क्रीन में उचित स्थान पर भरना होगा। पार्टनरशिप टाईप रेडियो बटन को मौजूदा उपयोगकर्ता पर ही होना चाहिए। जारी रखने के लिए एन्टर दबाएँ।

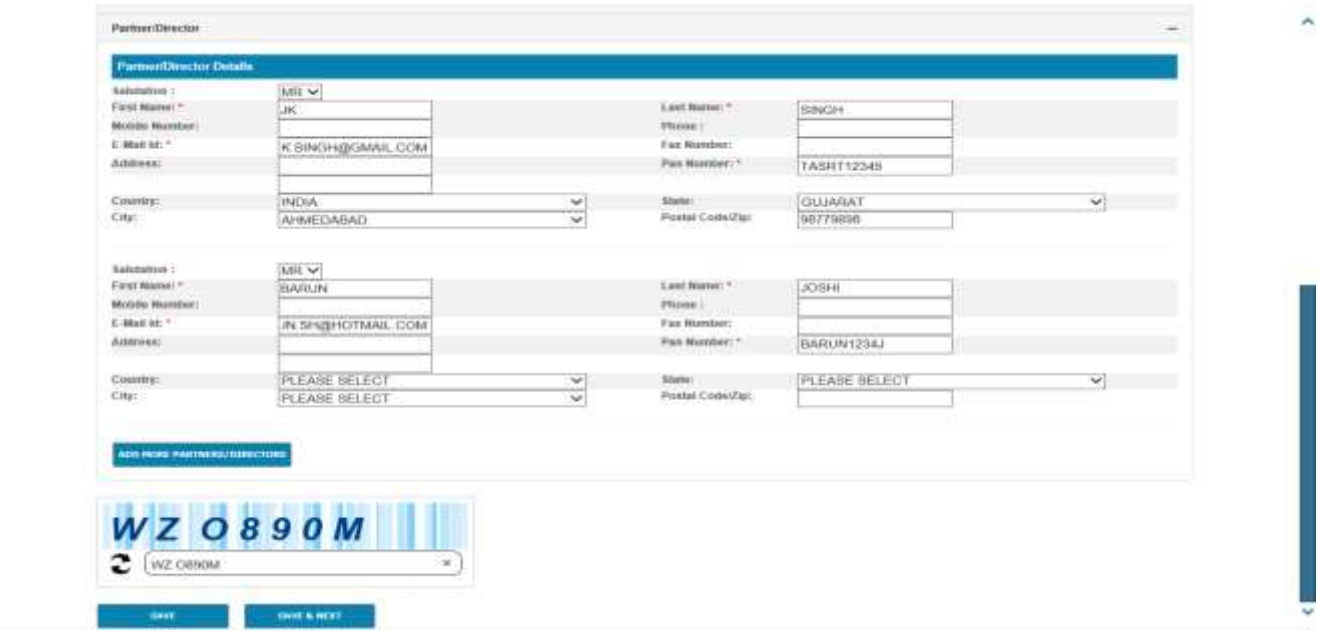


2.3 विस्तृत विवरण प्रविष्ट करना – यदि उपयोगकर्ता आईडी और नामांकन संख्या पिछले पंजीयन विवरण से मेल खाती है, तो आपूर्तिकर्ता विस्तृत प्रविष्टि पृष्ठ पर पहुंचेंगे जहां चिप्स को पूर्व से प्रदान किया गया कुछ डेटा दिखाई देगा।



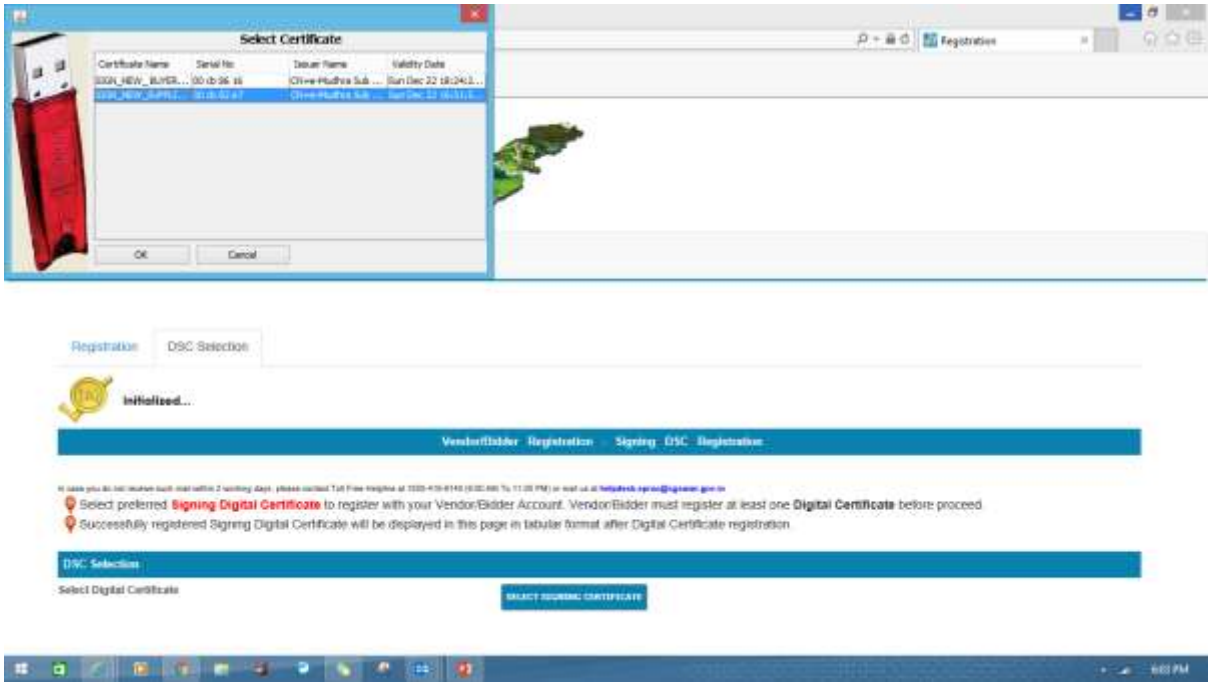


2.4 परिवर्तन को सहेजना – ग्राहक संबंध नम्बर (CRN) सहित सभी इनपुट के पूर्ण होने और अपलोड करने के बाद कैप्चा (captcha) को भरें एवं 'save & next' बटन को दबाकर किये गये सभी परिवर्तन को सहेजें।



2.5 **DSC का चयन –** आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का चयन करना होगा।

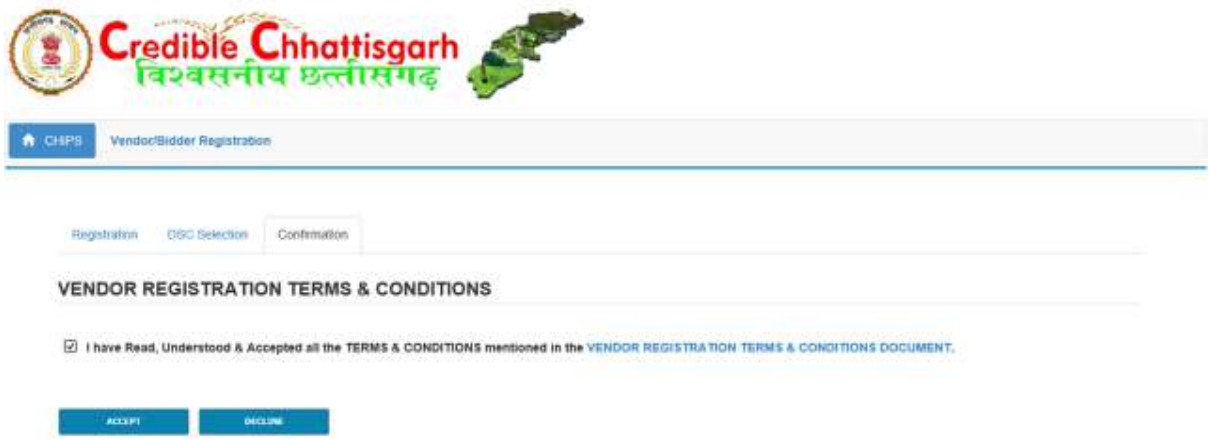




2.6 DSC के सफल चयन के पश्चात पंजीकरण के लिए term & condition स्वीकार करने हेतु पुष्टिकरण (Confirmation) पर क्लिक करें।



2.7 **नियमों और शर्तों की स्वीकृति** – नियमों और शर्तों को पढ़ने के पश्चात दिये गये लिंक के द्वारा पुष्टिकरण प्रदान करने के लिए चेक बॉक्स को टिक करके आवश्यक है। अपना वेंडर पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए 'स्वीकार करें' ("Accept") पर क्लिक करें।

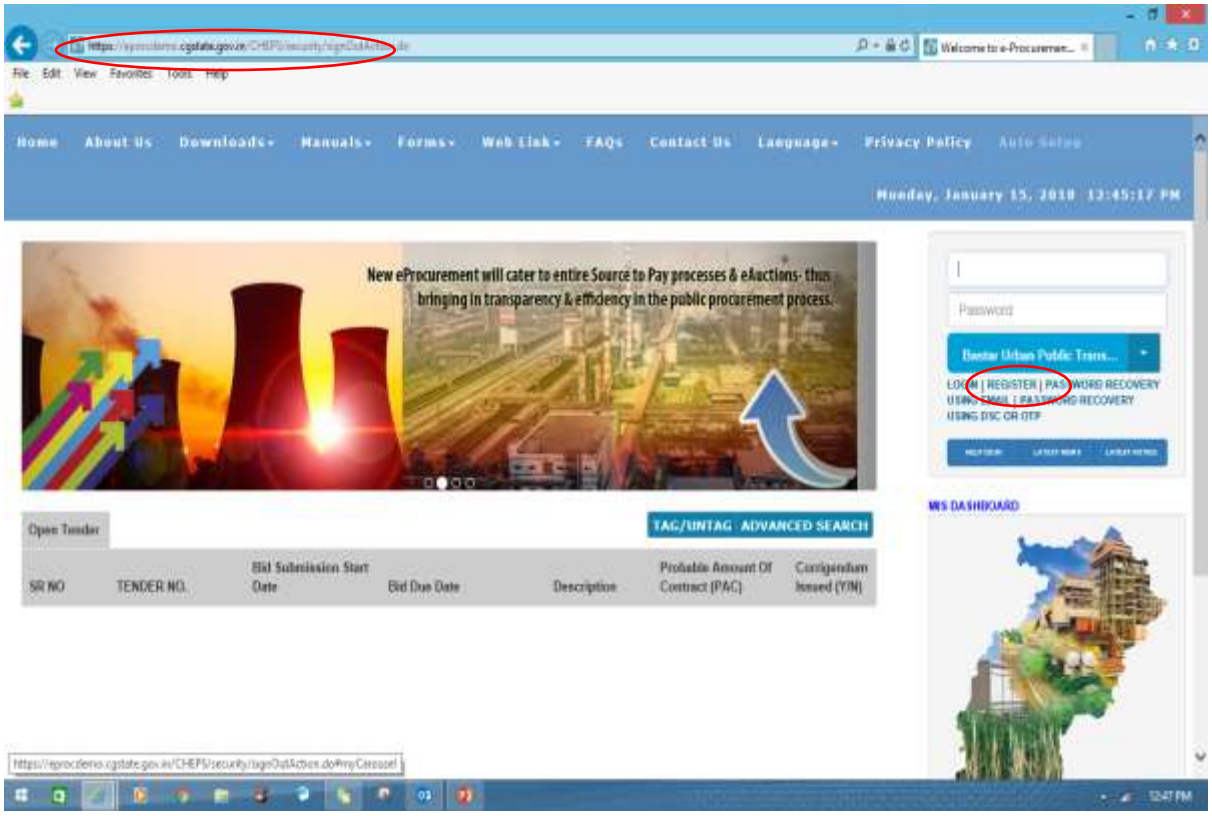


2.8 **पंजीकरण संख्या प्रदर्शन** – 'स्वीकार करें' ("Accept") बटन दबाने पर आवेदन/पंजीकरण संख्या लाल रंग में दिखाई देती है।



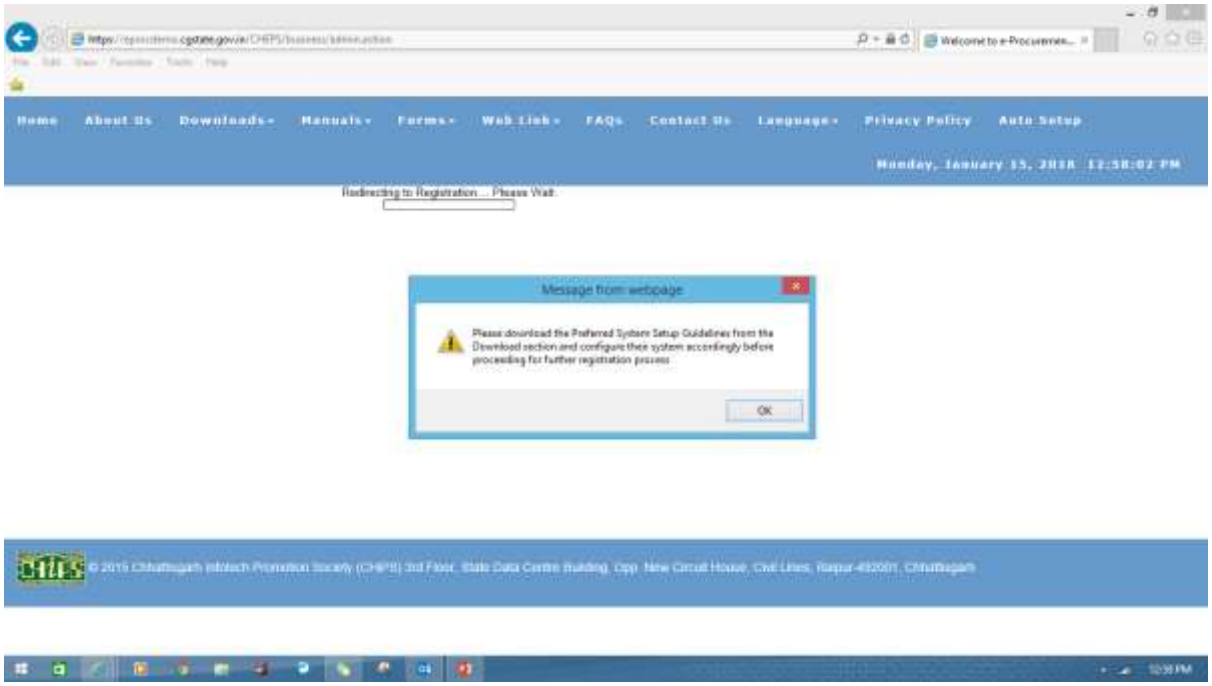
खंड 3 : नवीन आपूर्तिकर्ता पंजीयन

3.1 कृपया यूआरएल https://eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से वेबसाइट पर जायें एवं Register के अंतर्गत 'New User' पर क्लिक करें।



3.2 पेन कार्ड विवरण दर्ज करना – यहां सहीं पेन कार्ड विवरण दर्ज करना आवश्यक है। तद्पश्चात जारी रखने के लिए 'नया उपयोगकर्ता' ("New User") चुनें और 'दर्ज करें' ("Enter") और सिस्टम सेटअप गाइड डाउनलोडिंग के लिए OK दबाएं।

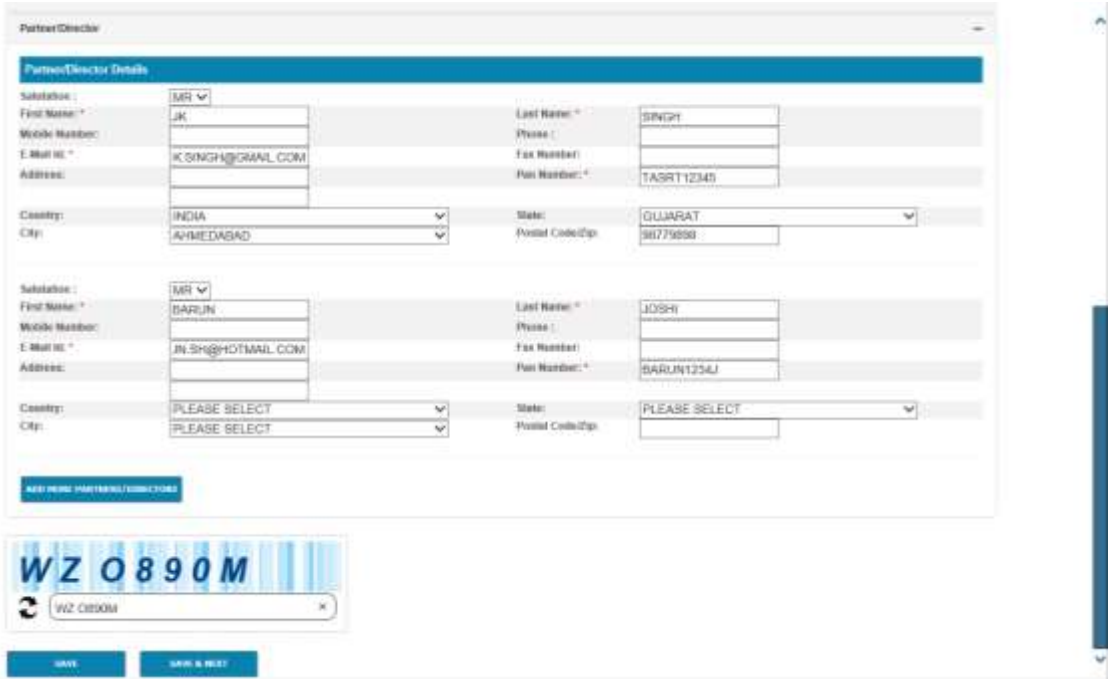




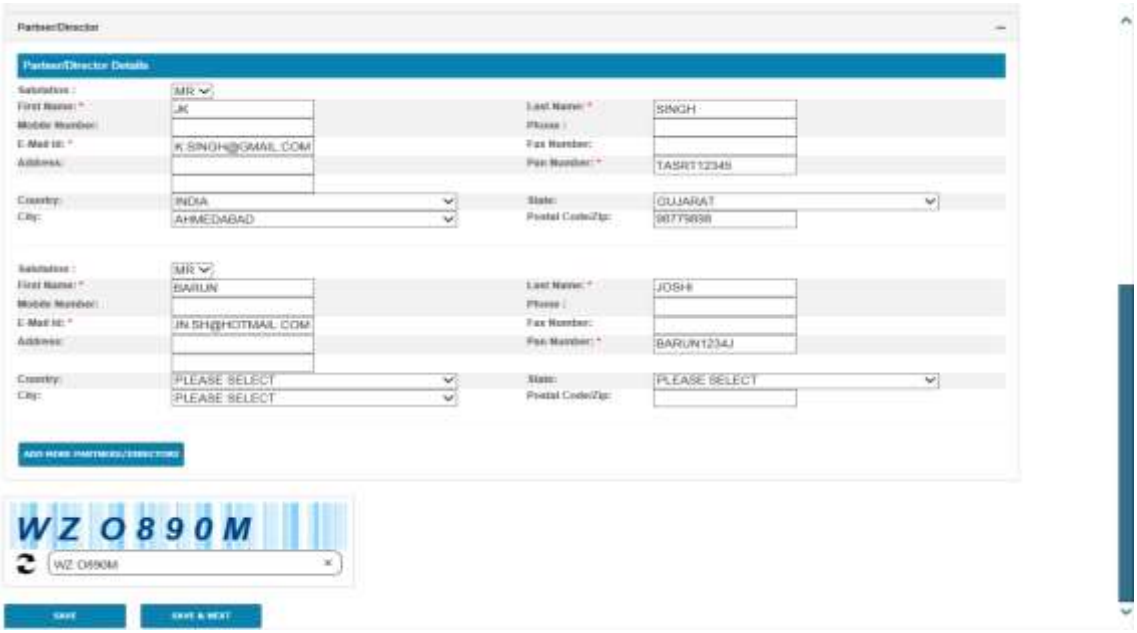
3.3 **विवरण प्रविष्टि करना** – लॉगिन कोड की उपलब्धता के लिए सटिक लॉगिन कोड दर्ज किया जाना चाहिए। लॉगिन कोड की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात अन्य विवरण (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, संपर्क नम्बर, अतिरिक्त संपर्क नम्बर, बैंक, सीआरएन, वेंडर व्यवसाय और साझेदार) दर्ज करें।



3.4 **सत्यापन** – समस्त विवरण दर्ज हो जाने के पश्चात सिस्टम सत्यापन के लिए पूछता है। जारी रखने के लिए "Save & Next" दबाएं।



3.5 **परिवर्तन को सहेजना** – ग्राहक संबंध नम्बर (CRN) सहित सभी इनपुट के पूर्ण होने और अपलोड करने के बाद कैप्चा (captcha) को भरें एवं 'save & next' बटन को दबाकर किये गये सभी परिवर्तन को सहेजें।



3.6 **DSC का चयन –** आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का चयन करना होगा।







3.7 DSC के सफल चयन के पश्चात पंजीकरण के लिए term & condition स्वीकार करने के लिए पुष्टिकरण (Confirmation) पर क्लिक करें।



3.8 नियमों और शर्तों की स्वीकृति – नियमों और शर्तों को पढ़ने के पश्चात दिये गये लिंक के द्वारा पुष्टिकरण प्रदान करने के लिए चेक बॉक्स को टिक करने की आवश्यकता होती है। अपना वेंडर पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए (Accept) पर क्लिक करें।

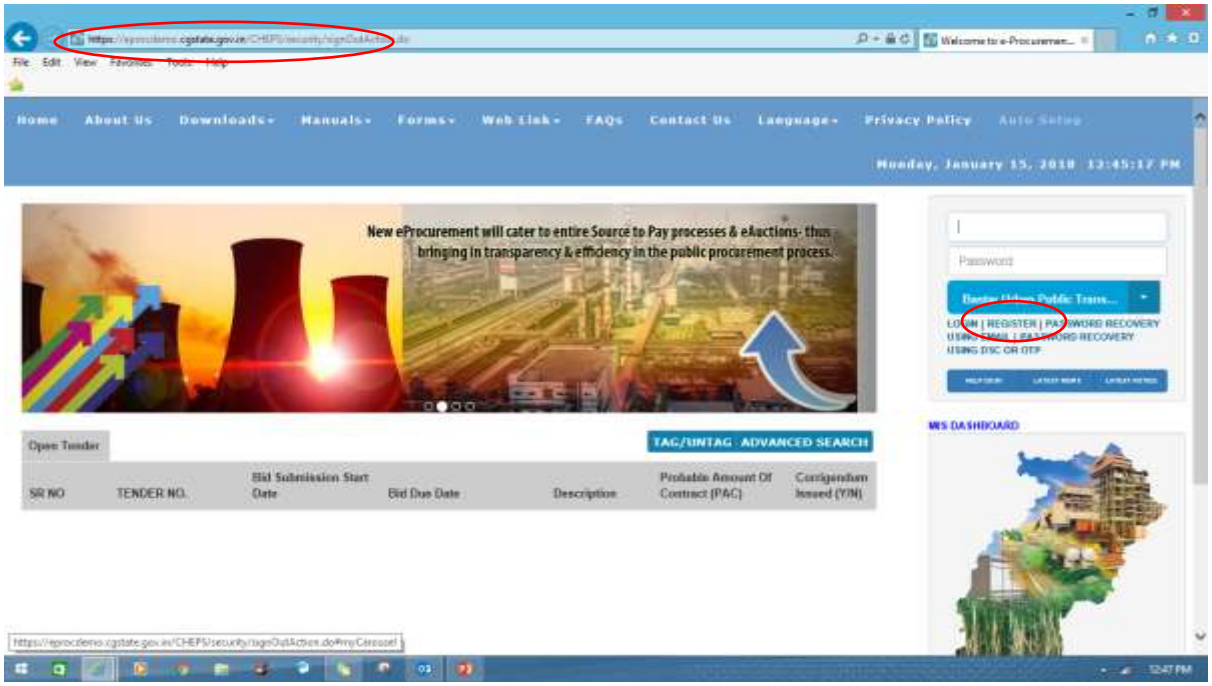


3.9 **पंजीकरण संख्या प्रदर्शन** – "Accept" बटन दबाने पर आवेदन/पंजीकरण संख्या लाल रंग में प्रर्दशित होती है।

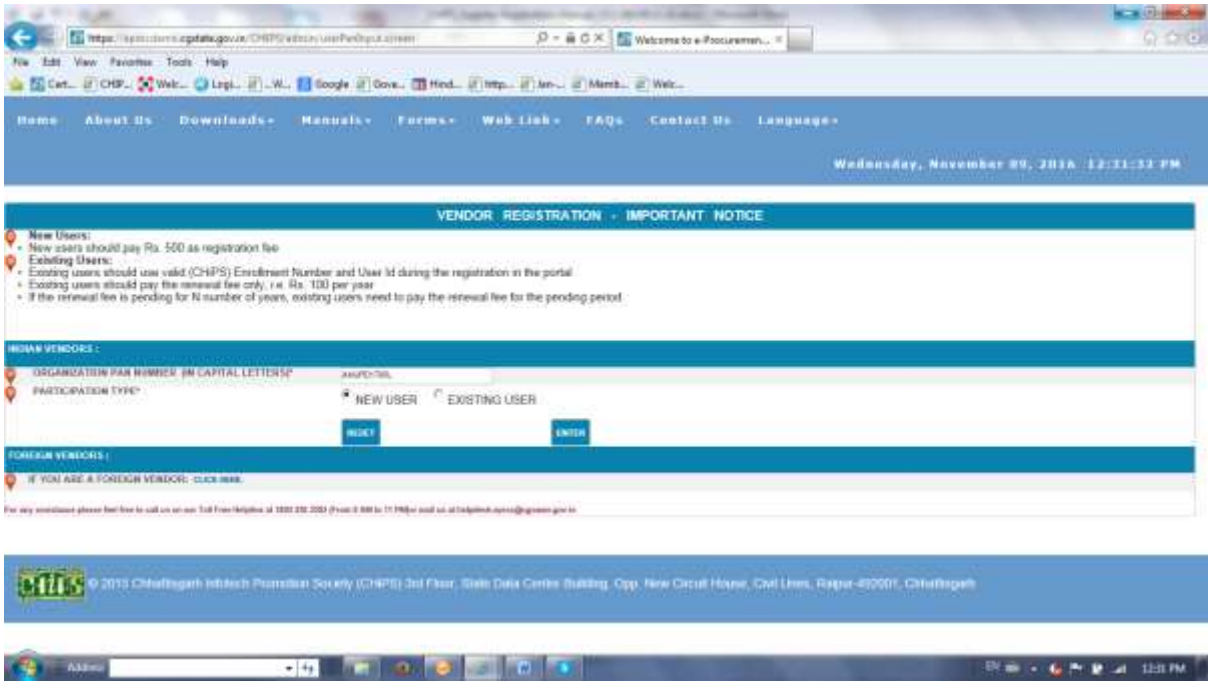


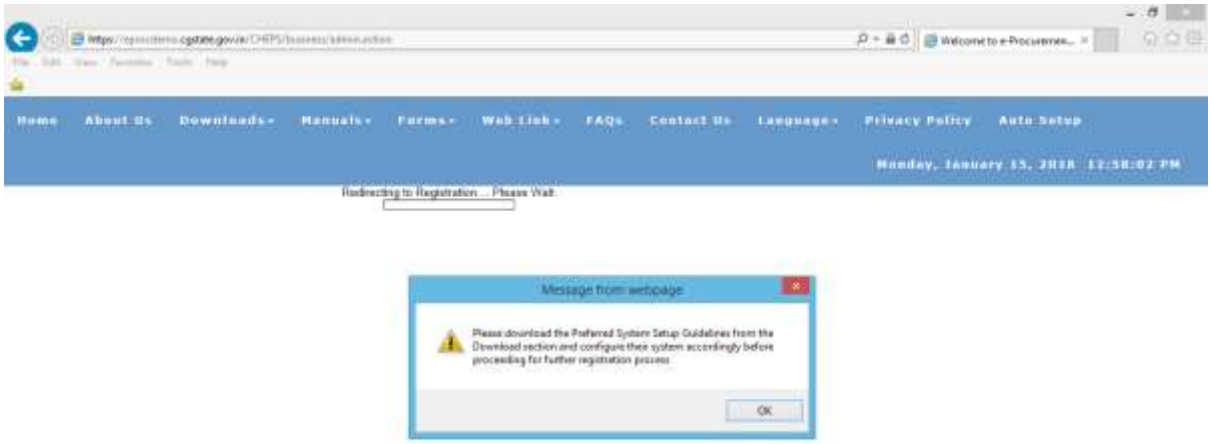
खंड 4– लोक निर्माण विभाग (PWD) में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं का पंजीयन

4.1 कृपया यूआरएल https://eproc.cgstate.gov.in के माध्यम से वेबसाइट पर जायें एवं Register के अंतर्गत 'New User' पर क्लिक करें।



4.2 यदि आपूर्तिकर्ता पूर्व से ही PWD में पंजीकृत है और सही पंजीकृत पेन विवरण प्रदान करता है, तो आपूर्तिकर्ता विस्तृत प्रविष्टि पृष्ठ पर पहुंचेंगे, जहाँ PWD को पूर्व से प्रदत्त कुछ डेटा समाने आयेगा।

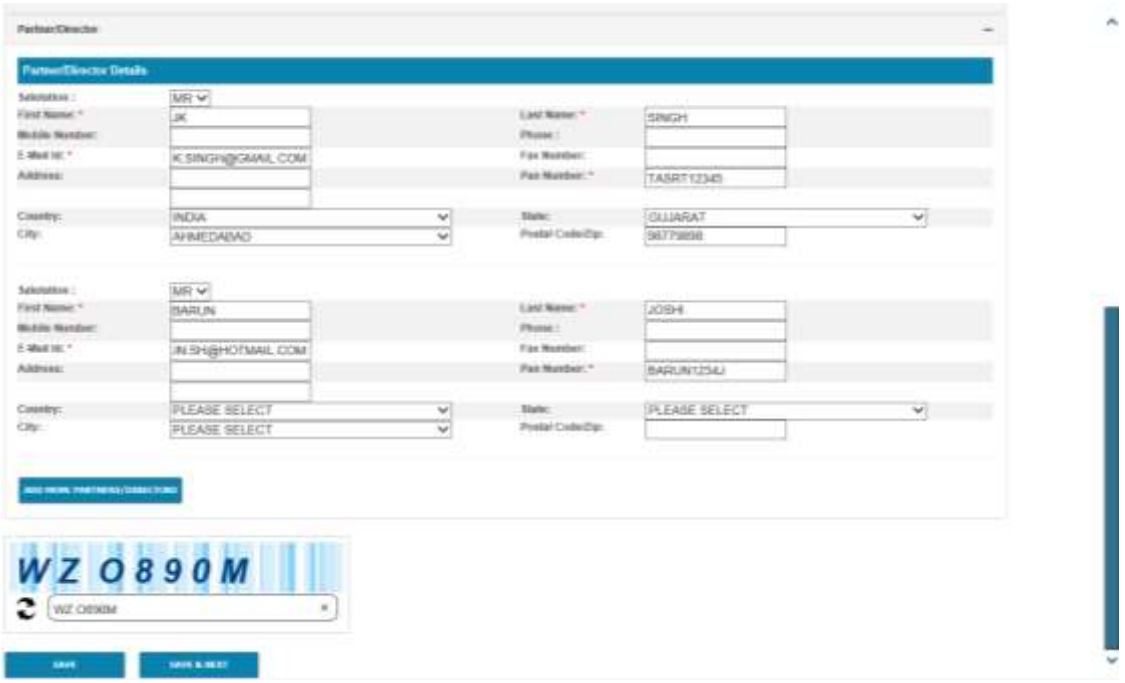



Home
About Us
Downloads
Manuals
Forms
Web Link
FAQs
Contact Us
Language
Privacy Policy
Auto Setup
Monday, January 15, 2018 12:58:02 PM
Redirecting to Registration ... Please Wait
Message from webpage
Please download the Preferred System Setup Guidelines from the Download section and configure their system accordingly before proceeding for further registration process
OK

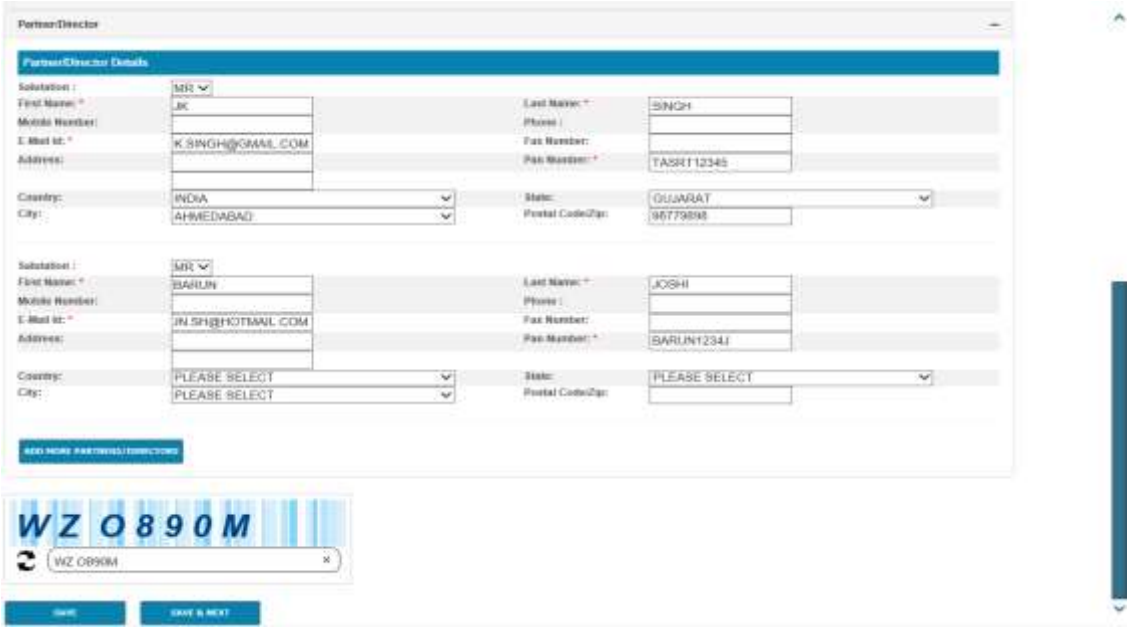

© 2015 Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) 3rd Floor, State Data Centre Building, Opp. New Circuit House, Civil Lines, Raipur-492001, Chhattisgarh


विश्वसनीय छत्तीसगढ़
CHIPS
Vendor/Bidder Registration
Registration
Login Code
Input Preferred Login Code :
Preferred Login Code should be 6 - 24 characters in length and can only use Alphabet and Numeric Values
Once Vendor/Bidder submits registration form, Vendor/Bidder will receive a Application ID along with this Login Code. Vendor/Bidder should quote the Application ID for all Registration related queries
Preferred Login Code: *
VENDOR12345
LOGIN CODE : VENDOR12345 is Available
Authorized Signatory
Contact
Additional Contact
Bank Details
Other(S) Details
CRN Details
Vendor Business
Partner/Director

4.3 **सत्यापन –** सभी विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात सिस्टम सत्यापन के लिए पूछेगा। आगे बढ़ने के लिए 'save & next' बटन को दबाएं।

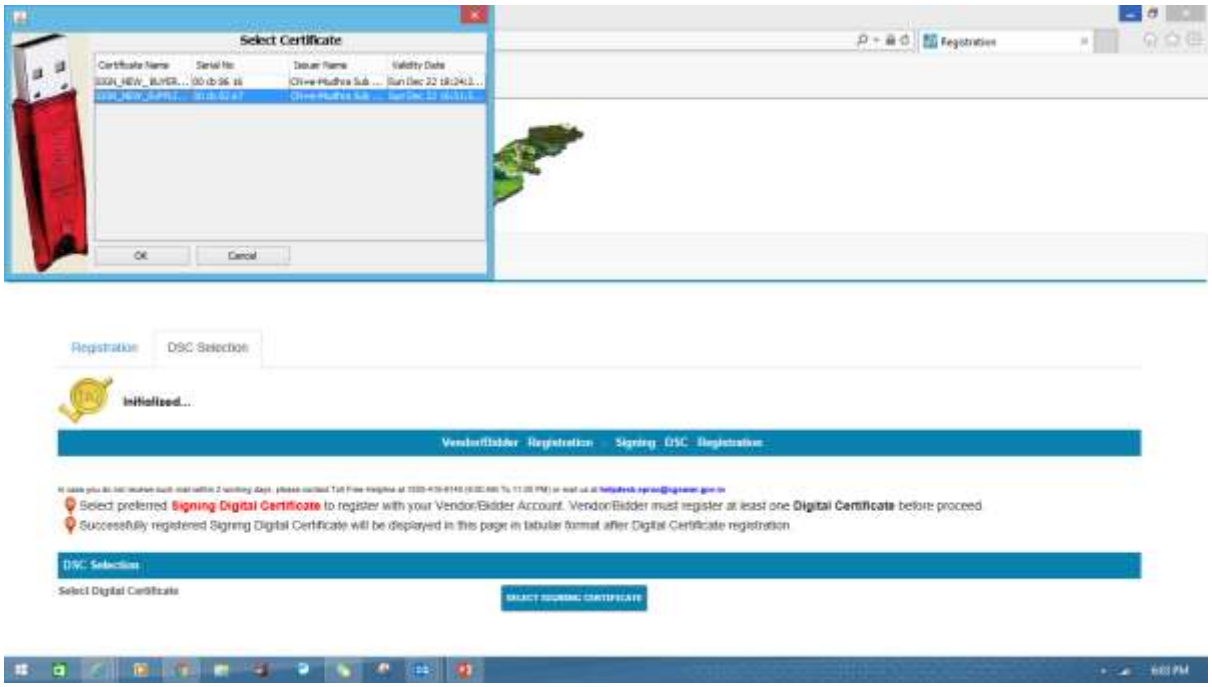


4.4 **परिवर्तन को सहेजना –** ग्राहक संबंध नम्बर (CRN) सहित सभी इनपुट के पूर्ण होने और अपलोड करने के बाद आगे बढ़ने के लिए 'save & next' बटन को बटन को दबाएं।

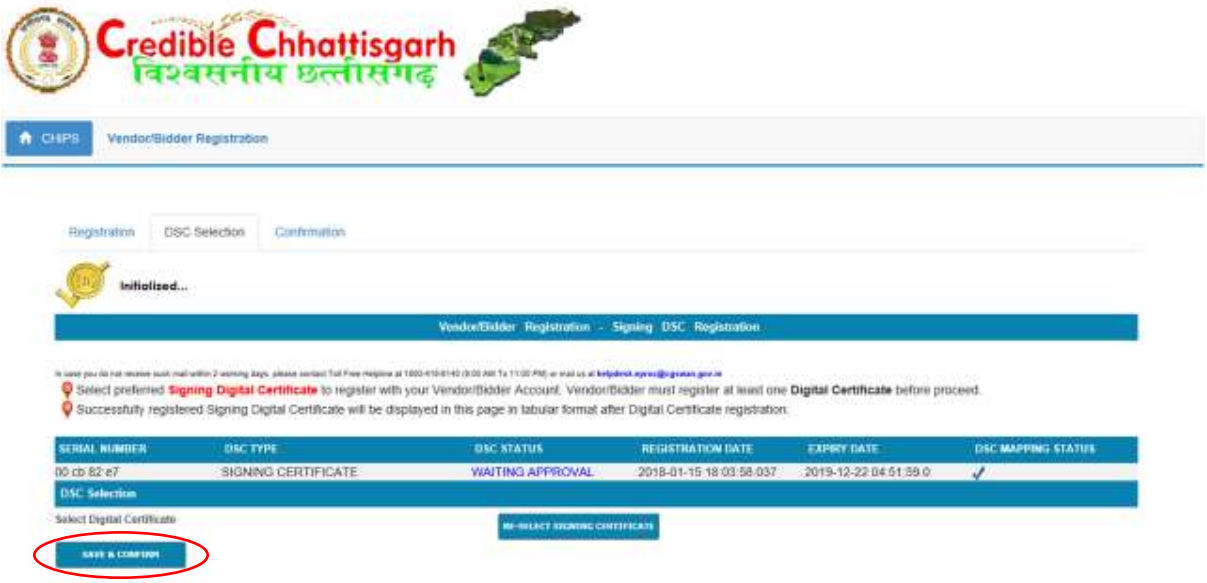


4.5 **DSC का चयन –** आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का चयन करना होगा।





4.6 पंजीकरण के लिए DSC के सफलतापुर्वक चयन के पश्चात term & condition स्वीकार करने हेतु पुष्टिकरण (Confirmation) पर क्लिक करें।



4.7 **नियमों और शर्तों की स्वीकृति** – नियमों और शर्तों को पढ़ने के पश्चात दिये गये लिंक के द्वारा पुष्टिकरण प्रदान करने के लिए चेक बॉक्स को टिक करके आवश्यक है। अपना वेंडर पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए ("Accept") पर क्लिक करें।

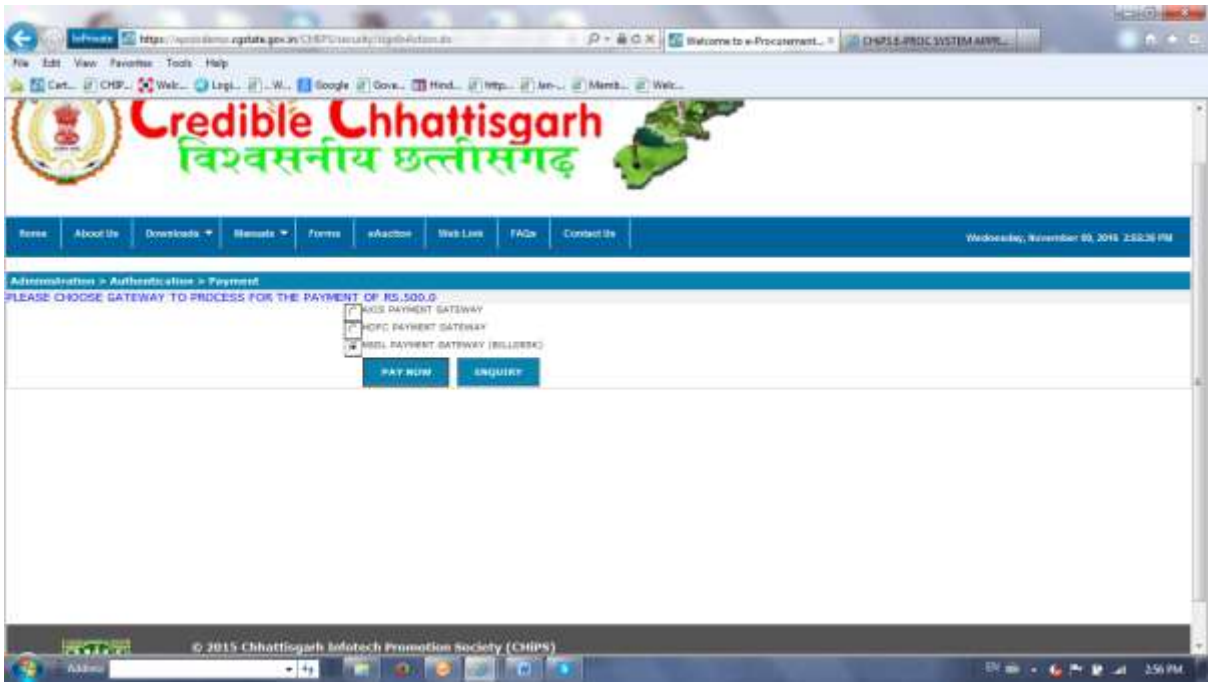


4.8 **पंजीकरण संख्या प्रदर्शन –** 'स्वीकार करें' ("Accept") बटन दबाने पर आवेदन/पंजीकरण संख्या लाल रंग में दिखाई देती है।

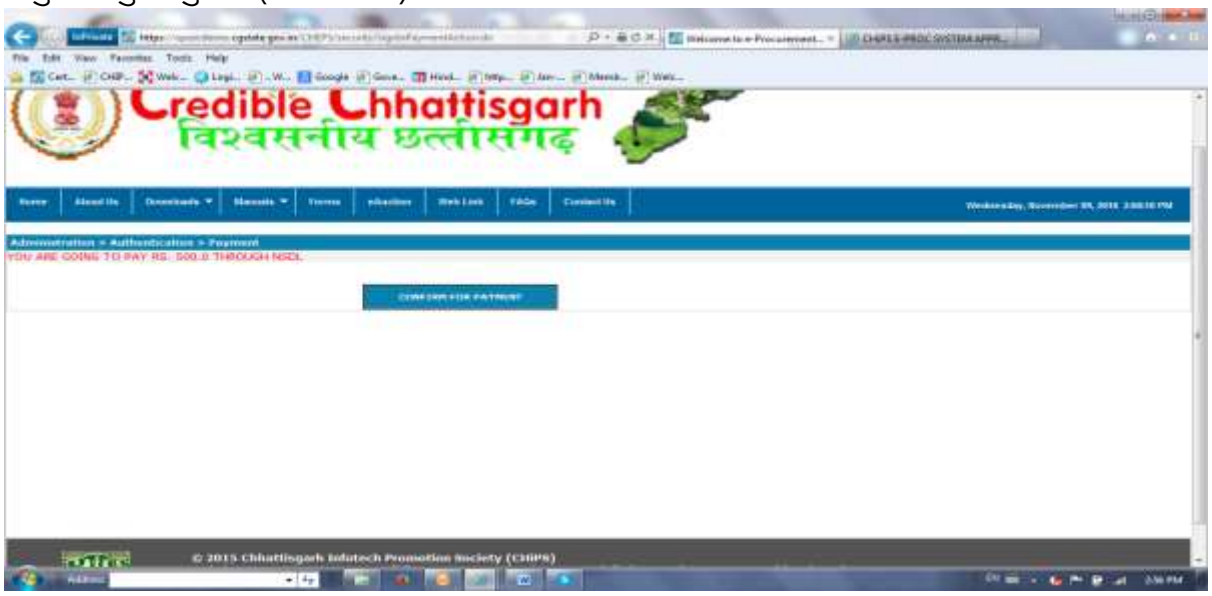


खंड 5–पंजीयन शुल्क का भुगतान

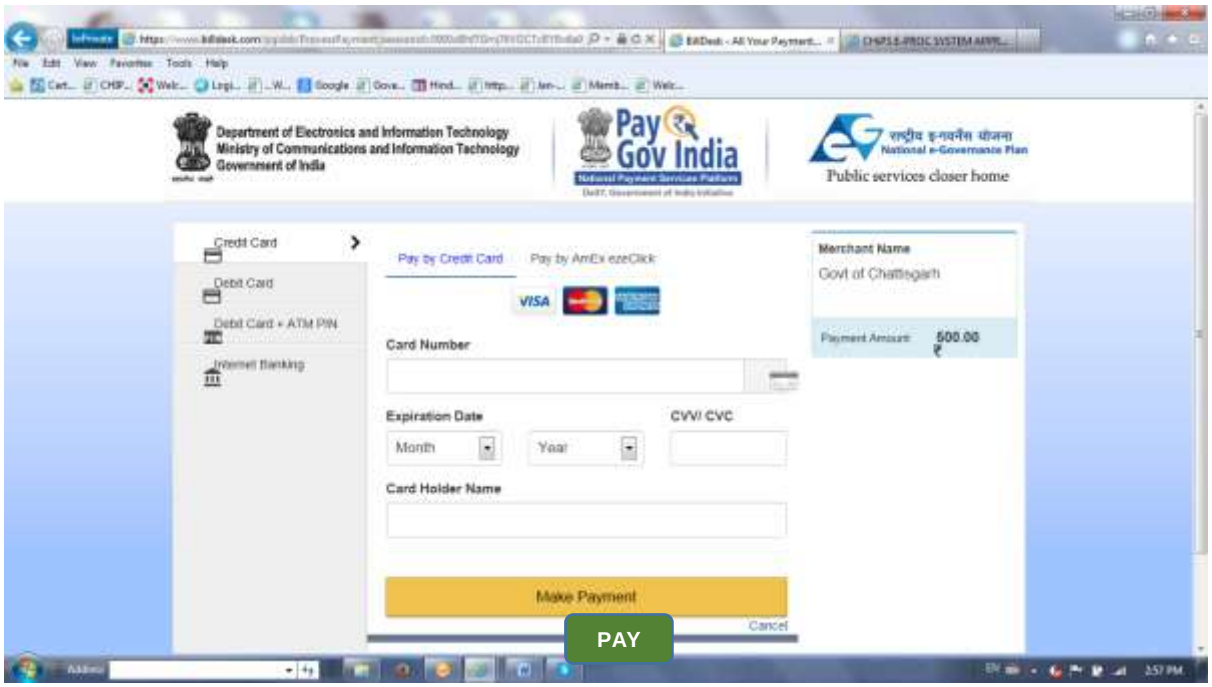
5.1 **वेंडर्स के लिए सूचना –** पंजीकरण प्रक्रिया के बाद वेंडर्स को पंजीयन राशि के भुगतान हेतु सूचित किया जाता है। वेंडर्स को भुगतान हेतु स्वयं की आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। लॉगिन करने पर नीचे दर्शाये प्रारूप में भुगतान पृष्ठ स्वतः निर्देशित होता है।



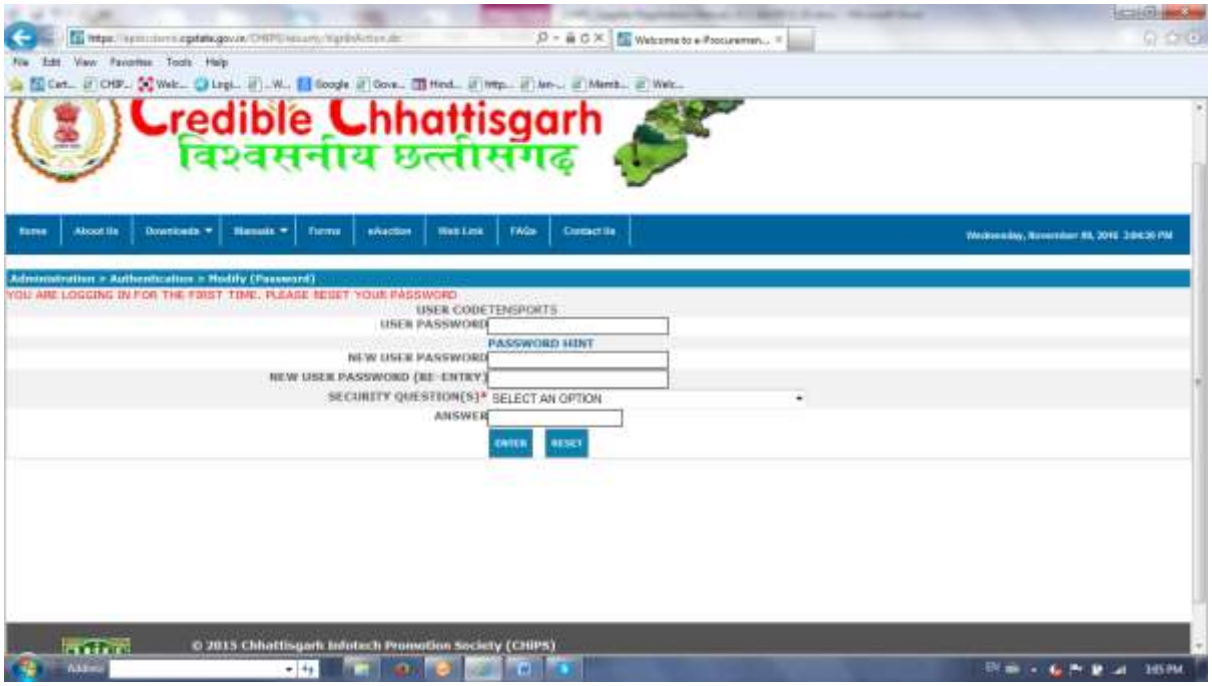
5.2 **भुगतान की पुष्टि –** वेंडर द्वारा भुगतान करने की पुष्टि करने के पश्चात नीचे दर्शाए अनुसार पुनः पुष्टि (reconfirm) करने की आवश्यकता होती है।



5.3 **भुगतान गेटवे पर पुर्निर्देशित** – भुगतान की पुष्टि के पश्चात वेंडर को भुगतान के लिए भुगतान गेटवे पर निर्देशित किया जाता है।



5.4 **पासवर्ड रीसेट** – पहली बार लॉगिन करने वाले वेंडर्स को सफल भुगतान के पश्चात सिस्टम अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहता है।



खंड 6–DSC एन्क्रिप्शन मैपिंग

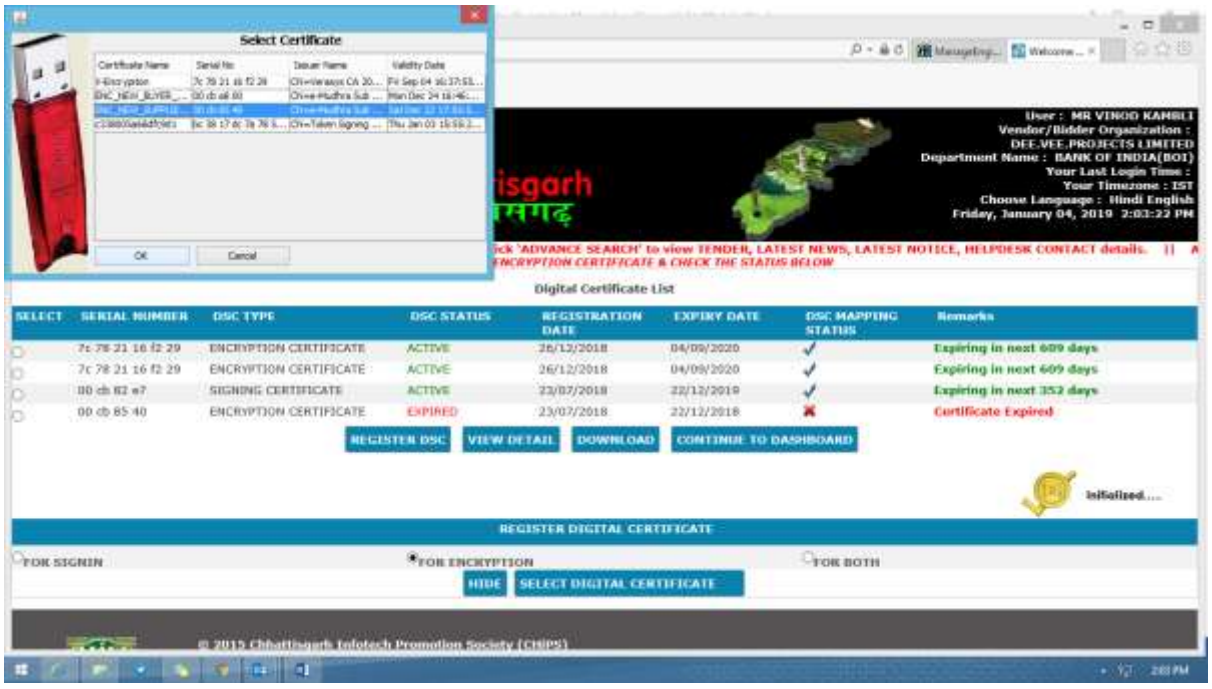
6.1 पासवर्ड के सफलतापुर्वक निर्माण के बाद निविदा भरने के लिए एन्क्रिप्शन DSC मैपिंग की आवश्यकता होती है। REGISTER DSC पर क्लिक करें



6.2 FOR ENCRYPION पर क्लिक करें और फिर डिजिटल सर्टिफिकेट चुनें (SELECT DIGITAL CERTIFICATE) पर क्लिक करें



6.3 इच्छित एन्क्रिप्शन प्रमाणपत्र का चयन करें



6.4 Close बटन पर क्लिक करें।



6.5 एन्क्रिप्शन प्रमाण–पत्र सफलतापुर्वक मैप कर लिया गया है।



इसके साथ ही वेंडर पंजीयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक समाप्त होती है। वेंडर्स अब संबंधित निविदा में बोली प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।